



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092021-229935
CG-DL-E-24092021-229935

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 536]
No. 536]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 23, 2021/आश्विन 1, 1943
NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 23, 2021/ASVINA 1, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 652(अ).—केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 278(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्ति से पूर्व, जिसमें उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां, आक्षेपों या सुझावों को आमंत्रित करने के लिए जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त अधिसूचना की प्रतियां, 8 अप्रैल, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 25 सितंबर 2021 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है), नियम 63 में, उप-नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(6) इस नियम में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, अधिनियम की धारा 56 के प्रयोजनों के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, इन नियमों के अध्याय 11 के अनुसार होगा।”

3. उक्त नियमों में अध्याय 10 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

“अध्याय 11

स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण

173. लागू होना- इस अध्याय के उपबंध स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण, स्वचालित उपकरणों के माध्यम से वाहनों के फिटनेस परीक्षण की प्रक्रिया और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों द्वारा फिटनेस प्रमाणपत्र प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए लागू होंगे।

174. परिभाषाएं - इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(i) "अधिनियम" से मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) अभिप्रेत है।

(ii) "स्वचालित परीक्षण स्टेशन" से राज्य सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी स्वचालित परीक्षण सुविधा अभिप्रेत है, जहां इन नियमों के अनुसार फिटनेस परीक्षण किया जा सकता है।

(iii) "फिटनेस प्रमाण पत्र" से अधिनियम की धारा 56 (1) में विनिर्दिष्ट किसी निर्धारित प्राधिकारी या परिवहन यान के लिए प्ररूप 38 में और गैर-परिवहन यान के लिए प्ररूप 25 में जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है, जैसा भी मामला हो, इस प्रभाव के लिए कि अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों की सभी अपेक्षाओं के साथ वाहन कुछ समय के लिए अनुपालन करता है;

(iv) "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण" से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित परिवहन आयुक्त के पद से अन्यून कोई भी अधिकारी अभिप्रेत है, और स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए इस अध्याय के अधीन प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए सशक्त बनाता है;

(v) नियम 183 के प्रयोजन के लिए "अपीलीय प्राधिकारी" से राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी के पद से अन्यून कोई अधिकारी अभिप्रेत है, जिसके समक्ष एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा दिए गए वाहन के परीक्षा परिणाम के विरुद्ध अपील की जा सकती है;

(vi) "प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र" से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र अभिप्रेत है जो आवेदक को एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना या निर्माण या स्थापना शुरू करने की अनुमति देता है;

(vii) "रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र" से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है जो किसी भी स्वचालित परीक्षण स्टेशन को संचालन शुरू करने की अनुमति देता है;

(viii) "स्वामी" से किसी व्यक्ति या कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन या राज्य सरकार सहित एक व्यक्ति अभिप्रेत है, जो एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन का रजिस्ट्रीकृत मालिक है;

(ix) एक वित्तीय वर्ष के लिए "निवल मूल्य" से कुल संपत्ति और कुल देनदारियों के बीच का अंतर अभिप्रेत है;

(x) "ऑपरेटर" से किसी व्यक्ति या कंपनी या संघ या व्यक्तियों के निकाय या विशेष प्रयोजन वाहन या राज्य सरकार सहित एक व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे राज्य सरकार के रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन के मामलों और संचालन के प्रबंधन की जिम्मेदारी लेने के लिए अधिकृत किया गया है जैसे कर्मचारियों को काम पर रखना, वाहनों का फिटनेस परीक्षण करना, पूरे संचालन की अखंडता सुनिश्चित करना, फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना और नवीनीकरण करना और इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार ऑडिट और मूल्यांकन के संचालन की सुविधा प्रदान करना है ;

(xi) "एंड ऑफ लाइफ" से कोई भी ऐसा वाहन अभिप्रेत है, -

(क) जो अब वैध रूप से रजिस्ट्रीकृत नहीं है; या

(ख) जिसका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अध्याय 4 के अधीन रद्द कर दिया गया है; या

(ग) जिसे इस अध्याय के उपबंधों के अधीन निर्दिष्ट परीक्षण या पुनः परीक्षण के बाद अयोग्य घोषित किया गया है; या

(घ) जो आग, क्षति, प्राकृतिक आपदा, दंगों या दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाली किसी भी परिस्थिति के कारण वैध रजिस्ट्रीकृत मालिक द्वारा अपशिष्ट वाहन के रूप में स्वयं घोषित है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।

175. परीक्षण स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया - (1) एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन का कोई भी ऑपरेटर प्ररूप 62 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा उसे प्रदान किए गए किसी भी वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र जारी या नवीनीकृत नहीं करेगा या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के बिना कोई भी संचालन शुरू नहीं करेगा।

(2) एक नए स्वचालित परीक्षण स्टेशन के मामले में, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन ऐसे स्टेशन के निर्माण या स्थापना के लिए एक प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान से पहले किया जाएगा और उसके बाद, स्वचालित की स्थापना या निर्माण या स्थापना पर परीक्षण स्टेशन और इसके सफल पूर्व-कमीशनिंग ऑडिट और मूल्यांकन के लिए, आवेदक संचालन शुरू करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

(3) उपनियम (2) के अधीन प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए आवेदन मालिक या ऑपरेटर द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्ररूप 63 में किया जाएगा और नियम 188 में निर्दिष्ट शुल्क के साथ होगा।

(4) (i) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक नियम 176 में निर्दिष्ट सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(ii) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी इस नियम के अधीन एक आवेदन पर विचार करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखेगा कि स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना से ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए वाहनों की संख्या और निकटता दोनों के संबंध में क्षेत्र में परीक्षण सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार होगा।

(5) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उप-नियम (3) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि आवेदक ने उप-नियम

(4) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनके भीतर प्ररूप 61 में प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करता है।

परंतु प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और इस तरह के इनकार के कारण रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में नहीं दिए जाते हैं।

(6) आवेदक, स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना पर, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड - मान्यता प्राप्त अभिकरण या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य अभिकरण को पूर्व-कमीशन ऑडिट करने और स्वचालित परीक्षण स्टेशन के मूल्यांकन के लिए नियुक्त करेगा।

(7) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन प्ररूप 64 में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा और इसके साथ होगा, -

(क) नियम 188 में निर्दिष्ट शुल्क;

(ख) नियम 188 में निर्दिष्ट सुरक्षा जमा या बैंक गारंटी;

(ग) उप-नियम (2) में निर्दिष्ट प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो;

(घ) प्ररूप 66 में सफल प्री-कमीशनिंग ऑडिट और निर्धारण रिपोर्ट।

(8) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र के अनुदान या नवीनीकरण के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदक नियम 176 से 179 में प्रदान की गई सभी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(9) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, उप-नियम (7) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, और खुद को संतुष्ट करने के पश्चात् कि आवेदक ने उप-नियम (8) की अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, आवेदन प्राप्त होने की तारीख से साठ दिनों के भीतर प्ररूप 62 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान या नवीनीकृत कर सकता है।

परन्तु रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा तब तक अस्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा इस तरह से इनकार करने के कारण लिखित रूप में नहीं दिए जाते हैं।

(10) प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र और रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए आवेदन के संबंध में किए गए सभी अवलोकन, आपत्तियां या कारण जिसके कारण प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अस्वीकार कर दिया गया है, उप-नियम (5) और (9) के अधीन कोई आदेश पारित करने के तीन कार्य दिवसों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल पर सम्यक रूप से अपलोड किया जाएगा।

176. पात्रता.-(1) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का, यथास्थिति, स्वामी या प्रचालक राज्य सरकार या किसी कम्पनी या संगम या व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय या विशेष प्रयोजन यान, या तो प्रत्यक्ष रूप से या पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के माध्यम से, होगी।

परन्तु कोई यान विनिर्माता या सेवा केन्द्र या मोटर गाड़ी डीलर या यान के सुधार या विनिर्माण या यान के विक्रय या मोटर गाड़ी के पूजों से संबंधित कोई व्यक्ति किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रत्यक्ष रूप से स्वामी या प्रचालक नहीं बनेगा :

परन्तु यह और कि जहां कोई यान विनिर्माता या सेवा केन्द्र या मोटर गाड़ी डीलर या यान के सुधार या विनिर्माण या यान के विक्रय या मोटर गाड़ी के पूजों से संबंधित कोई व्यक्ति किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का स्वामी या प्रचालक बनने का आशय रखता है तो वह कोई समनुषंगी या संयुक्त उद्यम या कोई विशेष प्रयोजन यान बनाकर ऐसा कर सकेगा।

(2) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का स्वामी ऐसे स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रचालक भी हो सकेगा।

(3) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक के पास निम्नलिखित होगा,-

- (i) निगमन प्रमाणपत्र या दुकान अधिनियम रजिस्ट्रीकरण या उद्यम आधार ;
- (ii) विधिमान्य माल और सेवा कर प्रमाणपत्र ; और
- (iii) विधिमान्य स्थायी खाता संख्यांक।

(4) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक के पास पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम तीन करोड़ रुपए की शुद्ध मालियत होगी और अंतिम दो वित्तीय वर्षों में कर के पश्चात् निश्चित लाभ होना चाहिए।

(5) जहां स्वचालित परीक्षण केन्द्र रखा जाना है वे परिसर या तो स्वामी के स्वामित्व में हों या कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए पट्टे या भाड़े पर लिए गए हों।

177. हितों का टकराव- (1) कार्य के संचालन के दौरान ऐसे हितों का कोई टकराव नहीं होगा जो किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक के वित्तीय या वृत्तिक हितों और इस अध्याय के अधीन उनकी बाध्यताओं के कारण उद्भूत हुए हैं या हुए समझे गए हैं।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय या वृत्तिक हित से कोई वैयक्तिक, वित्तीय या अन्य प्रतिफल जिसके किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र के स्वामी या प्रचालक के वृत्तिक व्यवहार पर असर डालने या समझौते की संभावना है।

(2) स्वचालित परीक्षण केन्द्र केवल परीक्षण सुविधा के रूप में कार्य करेगा और यानों के सुधार या विनिर्माण या यानों के विक्रय या मोटर गाड़ी के पूजों से संबंधित कोई सेवा उपलब्ध नहीं करेगा।

(3) स्वचालित परीक्षण केन्द्र के परीक्षण पदधारी, यान के वर्ग और प्रकार से संबंधित परीक्षण परिणाम की बाबत जानकारी को अतिगोपनीय बनाए रखेंगे।

(4) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र का प्रचालक हर समय एक पारदर्शी और पक्षपातरहित रीति में कृत्य करेगा और प्ररूप 64 में यथा-विनिर्दिष्ट उप-नियम (1), उप-नियम (2) और उप-नियम (3) के उपबंधों से संबंधित एक वचनबन्ध हस्ताक्षर करेगा।

178. अवसंरचना अपेक्षा-(1) परीक्षण के प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जानी वाली कोई सुविधा, दोपहिया यानों या तिपहिया यानों के लिए न्यूनतम प्रति पथ क्षेत्र 500 वर्गमीटर और हल्के या मध्यम या भारी मोटरयानों के लिए एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर होगा

जिसके अन्तर्गत प्रशासनिक ब्लाक के लिए अनुरूप स्थान, जिसमें स्वागत या जानकारी केन्द्र, प्रतिक्षा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी सर्वर और कार्यशाला, शौचालय, आदि हों, भी हैं।

(2) स्वचालित परीक्षण केन्द्र में परीक्षण पथ परिभाषित करने हेतु निम्नलिखित सारणी के अनुसार न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई होगी, अर्थात् :-

[सारणी क]

क्रम सं.	किसी परीक्षण पथ की न्यूनतम लम्बाई-चौड़ाई (मीटर में)	दोपहिया	तिपहिया और हल्के मोटर यान	मध्यम और भारी मोटर यान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	लम्बाई	15	32	32
2	चौड़ाई	5	7	7
3	प्रवेश पर घुमाने के लिए न्यूनतम लम्बाई	3	10	18
4	निकासी पर घुमाने के लिए न्यूनतम लम्बाई	3	10	18

(3) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र मानक संचालन प्रक्रिया पब्लिक के साथ-साथ कर्मचारिवृद्ध के लिए प्रतीक्षा क्षेत्र में उपदर्शित की जाएगी।

(4) उपयोगिताओं जैसे ट्रांसफार्मर, निम्न दबाव या उच्च दबाव पैनल सुरक्षा सहित या सुरक्षा युक्तियां, वायु कम्पेसर, निर्विरोध विद्युत स्रोत, जल कूलर, अग्नि सुरक्षा और पर्याप्त क्षमता वाला अग्निशमन संयंत्र और परीक्षण पथ क्षेत्र में पर्याप्त संवातन और धुंआ निकासी संयंत्र उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त स्थान होगा।

(5) किसी स्वचालित परीक्षण केन्द्र में परीक्षण के लिए लाए गए यानों की पार्किंग और निर्बाध आवागमन के लिए पर्याप्त स्थान होगा और आवश्यक साइवर सुरक्षा प्रमाणन, सूचना प्रौद्योगिकी संयंत्र के लिए वाहन डाटा बेस को, यथालागू, सुरक्षित पहुंच हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

(6) परीक्षण उपस्कर और सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना नियम, 190 के अनुसार होगी।

179. जनशक्ति अपेक्षा :(1) न्यूनतम जनशक्ति अपेक्षा निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात्:-

[सारणी-ख]

क्रम सं.	पदनाम	न्यूनतम जनशक्ति अपेक्षा	न्यूनतम अर्हता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मुख्य प्रधान/प्रबंधक	1	मोटरगाड़ी या यांत्रिकी या विद्युत या इलेक्ट्रॉनिकी इंजीनियरी में स्नातक के साथ कम से कम दस वर्ष का वृत्तिक अनुभव हो जिसमें कम से कम पांच वर्ष का यान निरीक्षण, विनिर्माण या सुधार का अनुभव है और अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के बारे में सम्पूर्ण ज्ञान, विशेष रूप से मोटरयानों के रजिस्ट्रीकरण और मोटरयानों के सन्निर्माण, उपस्कर तथा अनुरक्षण से संबंधित अध्यायों के बारे में, होगा।
2.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी/संयंत्र विश्लेषक	1(2 पथों तक) 2 (4 पथों तक)	मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन या इंजीनियरी स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी स्नातक या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिकी और संचार इंजीनियरी स्नातक के साथ किसी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से हार्डवेयर, साफ्टवेयर और नेटवर्किंग में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव।

3.	डाटा एंट्री अपरेटर	2	कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा या किसी विषय के साथ स्नातक के साथ कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान ।
4.	चालक (हल्का यान)	2 प्रति पथ प्रति पारी	चालन अनुज्ञप्ति के साथ (हल्के मोटर यान या भारी मोटर यान) कम से कम पांच वर्ष का चालन अनुभव ।
5.	पथ प्रभारी/अधीक्षक	1 प्रति पथ प्रति पारी	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर यांत्रिकी में डिप्लोमा या यांत्रिकी या मोटरगाड़ी या विद्युत में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से मोटरगाड़ी सुधार और अनुरक्षण का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव ।
6.	पथ प्रचालक	2 प्रति पथ प्रति पारी	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर यांत्रिकी या विद्युत या कंप्यूटर में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से मोटरगाड़ी सुधार और अनुरक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।
7.	अनुरक्षण तकनीशियन	1 प्रति पथ प्रति पारी	वातानुकूलन और प्रशीतन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से विद्युत्कार डिप्लोमा या यांत्रिकी या विद्युत में डिप्लोमा के साथ किसी मान्यताप्राप्त संगठन या संस्थान से विद्युत अनुरक्षण का न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।

2. स्वचालित परीक्षण केन्द्र, तत्समय प्रवृत्त सभी विधियों, जिसके अंतर्गत यथालागू श्रमविधियां भी हैं, की अनुपालना सुनिश्चित करेगा ।

180. रजिस्ट्रीकरण की वैधता और नवीकरण - (1) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र स्वचालित परीक्षण स्टेशन को तैयार करने या संनिर्माण या स्थापना की अवधि के लिए वैध होगा, जो राज्य सरकार तथा स्वामी या प्रचालक के बीच पारस्परिक सहमति से होगा तथा प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

- (2) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा इसका पश्चात्पूर्ति नवीकरण, यथास्थिति, नवीकरण की तारीख से पांच वर्ष के लिए वैध होगा ।
- (3) प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तथा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा ।
- (4) जहां प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो या नष्ट हो जाता है, तो ऐसे प्रमाणपत्र का धारक रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तथ्यों की सूचना देगा जिसने प्रमाणपत्र अनुदत्त या नवीकृत किया है और उसके कारण दर्शित करते हुए प्ररूप 65 में उपनियम (5) के अधीन अनुप्रति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करेगा ।
- (5) अनुप्रति प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को जारी करने के लिए आवेदन नियम 188 में यथाविनिर्दिष्ट समुचित फीस के साथ प्ररूप 65 में किया जाएगा ।
- (6) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, यथास्थिति, प्ररूप 61 या प्ररूप 62 में अनुप्रति प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा जिसके ऊपरी दाएं कोने पर "अनुप्रति" शब्द स्पष्ट रूप से लिखा होगा ।
- (7) अनुप्रति प्रमाणपत्र रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तुरन्त अभ्यर्पित कर दिया जाएगा यदि किसी भविष्यवर्ती तारीख को मूल प्रमाणपत्र ढूंढ लिया जाता है या पाया जाता है ।

181. परीक्षण प्रक्रिया और कार्यविधि -

- (1) किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर फिटनेस परीक्षण के लिए मिलने हेतु बुकिंग केन्द्रीय मोटर यान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 की अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित इलैक्ट्रानिक पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक ढंग से या केन्द्रीय सरकार द्वारा अभिकथित किसी अन्य रीति में नियम 81 में यथाविनिर्दिष्ट फीस जमा करके की जाएगी ।

- (2) जब तक उपनियम (1) में निर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल विकसित नहीं हो जाता, फिटनेस परीक्षणों के लिए बुकिंग या तो हस्तचालित ढंग से या राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी।
- (3) किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन में फिटनेस परीक्षण हेतु स्लाट बुक करते समय निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी अपलोड की जाएगी -
- (i) प्ररूप 25 के साथ यान का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, जहां कहीं लागू हो
 - (ii) वैध बीमा प्रमाण पत्र
 - (iii) अंतिम वैध अनुज्ञप्ति, जहां कहीं लागू हो
 - (iv) रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता की मोबाइल संख्या और ईमेल आईडी
- (4) यान से संबंधित अन्य विवरण, जो केवल निम्नलिखित तक ही सीमित नहीं है, वाहन डेटाबेस से स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाएगा, अर्थात् -
- (i) चेसिस संख्या;
 - (ii) इंजन संख्या;
 - (iii) ईंधन ;
 - (iv) यान का वर्ग ;
 - (v) यान का प्रवर्ग ;
 - (vi) मेक और मॉडल ;
 - (vii) सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) ;
 - (viii) विनिर्माण का महीना और वर्ष ;
 - (ix) स्पीड गवर्नर क्रम संख्या, जहां कहीं लागू हो।
- (5) निर्देश मानकों के साथ संचालित किए जाने वाले परीक्षणों की सूची, समय-समय पर यथाअनुयोज्य नियम 189 के अनुसार होगी।
- (6) डाटा सृजन, प्रक्रियागत करने तथा भंडारण को ऐसी रीति में किया जाएगा जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि:
- (i) डाटाबेस का भंडारण डाटा का अन्य प्लेटफार्मों के साथ आसान विनिमय और विश्लेषण में समर्थ बनाने के लिए डाटा प्रबन्धन साफ्टवेयर प्लेटफार्म में किया।
 - (ii) सभी स्वचालित परीक्षण परिणामों को स्वचालित परीक्षण स्टेशन में लगाए गए केन्द्रीय सर्वर में स्वचालित ढंग से पारेषित कर दिया जाएगा तथा विजुअल चैक डाटा, जिसके अन्तर्गत फोटोग्राफ भी हैं, को भी उसी सर्वर पर अन्तरित कर दिया जाएगा।
 - (iii) उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण होने के लिए फिटनेस मानदंड स्वचालित होंगे तथा नियम 189 के अनुसार होंगे।
 - (iv) (क) किसी परीक्षण पथ में परीक्षण स्टेशन का प्रदर्शक किसी परीक्षण परिणाम को दर्शित नहीं करेगा।
(ख) परीक्षण पथ में सभी परीक्षण परिणामों को एनक्रिप्टेड परीक्षण डाटा से छिपाया जाएगा।
(ग) परीक्षण रिपोर्ट स्वतः ही सृजित होगी तथा सभी परीक्षणों के पूर्ण होने के तुरन्त पश्चात् सुसंगत ब्यौरों के साथ डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित की जाएगी।
 - (v) सृजित परीक्षण डाटा और रिपोर्ट सुरक्षित और रक्षित प्रसुविधा में रखी जाएगी तथा इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

- (vi) यान तथा उसकी चैसिस और इंजन संख्या का छायाचित्र वैश्विक स्थिति प्रणाली समर्थ कैमरा से लिया जाएगा तथा रक्षित प्रसुविधा में रखा जाएगा और परीक्षण डाटा तथा रिपोर्ट के साथ इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।
- (7) यथास्थिति, प्ररूप 25 या प्ररूप 38 में फिटनेस का प्रमाणपत्र, यदि अनुदत्त किया गया हो, और इस प्रकार सृजित परीक्षण रिपोर्ट भौतिक तथा इलैक्ट्रॉनिक ढंग से रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरी को भेजी जाएगी तथा परीक्षण रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :-
- (i) स्टेशन का नाम और रजिस्ट्रीकरण संख्या ;
 - (ii) परीक्षण की तारीख और समय ;
 - (iii) यान के ब्यौरे - रजिस्ट्रीकरण संख्या, प्रकार, मेक और मॉडल ;
 - (iv) दृश्य जांच के ब्यौरे ;
 - (v) कार्यात्मक परीक्षणों के मापे गए और अनुज्ञेय मूल्य ;
 - (vi) उस स्वचालित परीक्षण स्टेशन के प्रत्येक उपस्कर के अंशशोधन की तारीख, जिस पर परीक्षण किए जाते हैं ;
 - (vii) फिटनेस प्रमाणपत्र अनुदत्त नहीं किए जाने की दशा में, उन कार्यात्मक परीक्षणों या दृश्य जांचों की सूची जिनमें यान असफल रहा ।
- (8) परिणाम वाहन डाटाबेस के साथ भी एकीकृत किए जाएंगे ।

182. पुनः परीक्षण प्रक्रिया - (1) उस यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी को, जो नियम 189 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित सभी या किन्हीं परीक्षणों में असफल रहा है, उचित वर्कशॉप से आरम्भिक निरीक्षण की परीक्षण रिपोर्ट विनिर्दिष्ट त्रुटियों को ठीक करवाने के पश्चात्, ऐसे परिणाम के तीस दिन के भीतर पुनः परीक्षण हेतु आवेदन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

- (2) यान का रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत हस्ताक्षरी नियम 81 में यथाविनिर्दिष्ट फीस जमा करने के पश्चात् पुनःपरीक्षण का विकल्प चुन सकेगा तथा परीक्षण रिपोर्ट में यथाविनिर्दिष्ट आरम्भिक निरीक्षण में केवल असफल परीक्षण (णों) के लिए ऐसे यान का पुनः परीक्षण किया जाएगा ।
- (3) नियम 183 के अधीन रहते हुए, वह यान जो उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर पुनः परीक्षण नहीं किया जाता है या ऐसे पुनः परीक्षण में असफल रहता है, ऐसे यान का जीवन समाप्त घोषित किया जाएगा ।
- (4) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 183 के उपनियम (2) के अधीन आंशिक या पूर्ण पुनःपरीक्षण करने के अपील प्राधिकारी के आदेश की दशा में, उसे तदनुसार किया जाएगा ।

183. परीक्षण परिणामों के विरुद्ध अपील - (1) परीक्षण परिणाम से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे परिणाम की प्राप्ति की तारीख से सात दिन के भीतर, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रॉनिक पोर्टल के माध्यम से, प्ररूप 68 में अपील प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करेगा तथा ऐसी अपील के साथ नियम 188 में यथाविनिर्दिष्ट फीस तथा परीक्षण परिणाम की एक प्रति संलग्न होगी ।

- (2) अपील प्राधिकारी ऐसी अपील की प्राप्ति के प्रन्द्रह कार्य दिवसों के भीतर यान के आंशिक या पूर्ण पुनः परीक्षण का आदेश कर सकेगा ।
- (3) ऐसा पुनः परीक्षण यान द्वारा उत्तीर्ण करने के पारिणामिक, अपील प्राधिकारी ऐसे यान को फिटनेस प्रमाणपत्र जारी करेगा ।
- (4) अपील प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

184. संपरीक्षा और निर्धारण - (1) स्वचालित परीक्षण स्टेशन का निष्पादन और कृत्य आवधिक संपरीक्षाओं तथा निर्धारण के माध्यम से उप-नियम (3) में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे अन्तरालों पर मॉनिटर किया जाएगा ।

(2) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी ऐसी संपरीक्षा और निर्धारण संचालित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन अभिकरण या किसी अन्य अभिकरण हेतु राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड नियुक्त करेगा।

(3) स्वचालित परीक्षण स्टेशन की संपरीक्षा और निर्धारण प्रत्येक छह मास में किया जाएगा तथा ऐसी संपरीक्षा और निर्धारण की लागत का वहन ऐसी स्टेशन के प्रचालक द्वारा किया जाएगा।

(4) स्वचालित परीक्षण स्टेशनों की संपरीक्षा और निर्धारण में निम्नलिखित पहलू सम्मिलित होंगे, अर्थात् :-

- (i) परीक्षण उपस्कर की पूर्णता ;
- (ii) वर्ष में कम से कम एक बार या विनिर्माता की सिफारिश के अनुसार अपेक्षित आवृत्ति पर उपस्कर अंशशोधन, जो भी पहले हो ;
- (iii) इस अध्याय के अधीन यथाविनिर्दिष्ट परीक्षण प्रक्रियाएं ;
- (iv) मशीनरी की अंशशोधन प्रक्रिया ;
- (v) इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हता के अनुसार जनशक्ति ;
- (vi) प्रत्येक पथ से कम से कम तीन यानों की नमूना जांच ;
- (vii) डाटा समेकन ;
- (viii) स्टेशन में लगाए गए सभी क्लोज सर्किट टेलिविजन की कार्यप्रणाली

(5) आपवादित परिस्थितियों में, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी स्वचालित परीक्षण स्टेशन की औचक संपरीक्षा और निर्धारण भी संचालित कर सकेगा, जो पर्याप्त रूप से अभिलिखित किया जाएगा तथा ऐसी संपरीक्षा और निर्धारण की लागत प्रचालक द्वारा वहन की जाएगी।

(6) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के पदधारी कार्यालय घंटों के दौरान किसी भी समय निरीक्षण को समर्थ बनाने और सहयोग करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(7) प्ररूप 67 में यथाविनिर्दिष्ट संपरीक्षा और निर्धारण रिपोर्ट, जिसके अन्तर्गत औचक संपरीक्षा और निर्धारण भी है, छायाचित्र साक्ष्य के साथ, इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट इलैक्ट्रानिक पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।

(8) (i) जहां संपरीक्षा और निर्धारण के दौरान विसंगति इंगित की जाती है, तो उसे संपरीक्षा और निर्धारण रिपोर्ट जारी करने की तारीख से दस कार्यदिवसों के भीतर प्रचालक द्वारा सुधार किया जाएगा।

(ii) सुधार रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्ट किए गए इलैक्ट्रानिक पोर्टल के माध्यम से अनुमोदन हेतु संपरीक्षा और निर्धारण अभिकरण को तथा सूचना हेतु रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) संपरीक्षा और निर्धारण अभिकरण, यदि वह ऐसी वांछा करता है, तो विधिमान्यकरण और अनुमोदन हेतु पुनःसंपरीक्षा तथा पुनःनिर्धारण कर सकेगा।

185. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द करने या प्रतिभूति निक्षेप संपहरण करने की रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की शक्ति – रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के धारक को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् यदि रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को यह समाधान हो जाता है कि वह,-

- (i) नियम 176 से 179 में यथाअधिकथिक अपेक्षाओं का पालन करने में असफल हो गया है; या
- (ii) संपरीक्षा और निर्धारण के यथासूचित समय पर परीक्षण के सही मानकों का संप्रेषण करने में असफल हो गया है; या
- (iii) समय पर संपरीक्षा और निर्धारण कराने में असफल हो गया है; या
- (iv) किसी अनाचार में अंतर्वलित होने पर निम्नलिखित आदेश लिखित में किया जा सकेगा,-
 - (क) विनिर्दिष्ट अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र निलंबित किया जा सकेगा; या

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का रद्द करने और प्रतिभूति निक्षेप और ओटोमेटिड परीक्षण स्टेशन द्वारा जारी की गई बैंक गारंटी के संपहरण का आदेश किया जा सकेगा।

186. अपील.- नियम 175 के उपनियम (9) या नियम 185 के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के आदेश द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों के भीतर राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा इस रूप में नियुक्त किए गए रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण की पंक्ति के उपर के किसी अधिकारी को अपील कर सकेगा।

187. अपील के लिए प्रक्रिया.- (1) नियम 186 के अधीन कोई अपील रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के आदेश से आपत्ति के आधारों को बताते हुए ज्ञापन के प्ररूप में प्रस्तुत की जाएगी;

(2) अपील अधिनियम, 1988 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित फीस के साथ प्रस्तुत की जाएगी;

(3) नियम 186 में निर्दिष्ट अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच जिसे वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से पैंतालीस दिनों की अवधि के भीतर युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा।

188. फीस- इस अध्याय के उपबंधों के अधीन भारत फीस निम्नलिखित सारणी में यथा-निर्दिष्ट होगी,-

[सारणी ग]

क्रम सं.	प्रयोजन	रकम	नियम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की मंजूरी	दस हजार रुपए	175(3)
2.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की मंजूरी या नवीकरण	पांच हजार रुपए	175(7)
3.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की प्रतिभूति निक्षेप /बैंक गारंटी	पांच लाख रुपए	175(7)
4.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना	पांच हजार रुपए	180(5)
5.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करना	पच्चीस हजार रुपए	180(5)
6.	स्वचालित परीक्षण स्टेशन के परीक्षण परिणाम के विरुद्ध अपील	दो हजार रुपए	183(2)
7.	नियम 187 के अधीन अपील	तीस हजार रुपए	187(2)

189. स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर परीक्षा किया जाना-(1) नियम 190 के उपनियम (7) में सारणी -ज में दिए गए वैशिष्ट्य के अनुसार मोटरों के फिटनेस प्रमाणपत्र को जारी और नवीनीकरण नीचे दी गई सारणी-ग में यथा-विनिर्दिष्ट जांच पड़ताल और परीक्षा करने के बाद ही किया जाएगा :-

[सारणी घ]

क्रम सं.	मद	स्वचालित परीक्षा (हां/नहीं)	फिटमेंट की जांच करें।	दृश्यता कार्यात्मक परीक्षण	अधिक विवरण के लिए संदर्भ नियम/मानक विवरण	सूचना के लिए टिप्पण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	हैडलैंप डिप्ड बीम	हां	नहीं	कार्यात्मक	एआईएस-128	कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : गुजरने वाले बीम का क्षैतिज कट आफ सदैव हैडलैंप केन्द्रीय रेखा से नीचे होगा और विचलन

						0.5% से 2.5% के बीच होगा।
(2)	हैंडलैप असेंबली	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 105 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस 009 (संशो. 1)	दृश्यता निरीक्षण मानदंड: (i) बल्ब को काम करना चाहिए; (ii) हैंडलैप आपरेटिंग स्विच को काम करना चाहिए; (iii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए ; (iv) लैप का लेंस रंग से पुता नहीं होना चाहिए या उस पर स्टीकर नहीं चिपका होना चाहिए।
(3)	लाइट्स					
	(क) टाप लाइट्स	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 107, 108 और ए आई एस 008 या ए आई एस 008 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैप को काम करना चाहिए; (iv) दो रंगों के लेंसवाले लैपों के लिए, लाल रंग पीछे की ओर होगा और सफेद रंग आगे की ओर होगा; (v) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (vi) लैप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ख) स्टाप लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 102, और ए आई एस 008 या ए आई एस 008 (संशो.1) और ए आई एस 009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लैप ब्रेक के प्रेरण पर काम करेगा ;

						(iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लेंस की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ग) पार्किंग लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 109, और ए आई एस 008 या ए आई एस 008(संशो.1) और ए आई एस 009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लेंस को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लेंस की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(घ) कोहरा लेंस यदि लगाया गया है	नहीं	हां	दृश्यता	एआई एस-008 या एआई एस-008 9संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लेंस को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लेंस की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(ड.) एम्बुलेंस में चेतावनी के लिए लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 108 और ए आई एस 125 (भाग 1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लेंस को काम करना चाहिए;

						(iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लेंस की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(च) नंबर प्लेट लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 108 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस 009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) सफेद लाइट नंबर प्लेट को प्रकाशित करने के लिए प्रयोग होगी ; (ii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iii) लेंस को काम करना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लेंस की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।
	(छ) एंड-आउटलाइन मार्कर लेंस	नहीं	हां	दृश्यता	एआईएस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) एंड-आउटलाइन मार्कर लेंस की साज-समान सुरक्षित सुनिश्चित होना चाहिए ; (ii) रंगीन लेंस मद्धम नहीं होगा; (iii) लेंस टूटा नहीं होना चाहिए; (iv) लेंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए; (v) लाल रंग लेंस पीछे की ओर और सफेद लेंस आगे की ओर होना चाहिए।
	(ज) दिशा सूचक	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 102 और ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 या ए आई एस-009 (संशो.1)	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) उत्सर्जित चमकते प्रकाश का रंग अंबर होगा ; (ii) लेंस टूटा नहीं होना

						<p>चाहिए;</p> <p>(iii) लैंप को काम करना चाहिए;</p> <p>(iv) लैंस के आंतरिक सतह पर नमी नहीं जमा होनी चाहिए;</p> <p>(v) लैंप की साज-समान सुरक्षित होनी चाहिए।</p>
	(i) खतरा चेतावनी संकेत लाइट	नहीं	हां	दृश्यता	ए आई एस-008 या ए आई एस-008 (संशो.1) और ए आई एस-009 (संशो.1)	<p>दृश्यता परीक्षण मानदंड:</p> <p>(i) उत्सर्जित चमकते प्रकाश का रंग अंबर होगा;</p> <p>(ii) स्विच के उपयोग द्वारा सभी दिशाओं के सूचक लैंपों के समक्षणिक प्रचालन सुनिश्चित करना</p>
(4)	सप्रेसर कैप/उच्च टेंशन केबल	नहीं	हां	दृश्यता		<p>दृश्यता परीक्षण मानदंड:</p> <p>(क) सप्रेसर कैप:</p> <p>(i) सप्रेसर कैप अच्छी स्थिति में नहीं होगा</p> <p>(ख) उच्च टेंशन केबल :</p> <p>(i) उच्च टेंशन केबल उचित रूप से विद्युत-रोधी होगी;</p> <p>(ii) उचित टर्मिनल संयोजन उच्च टेंशन केबल के दोनो तरफ बने होंगे।</p>
(5)	पीछे देखने के लिए शीशा	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 125(2) और ए आई एस-002 (भाग-1) और (भाग -2) (संशो.1)	<p>दृश्यता परीक्षण मानदंड:</p> <p>ए आई एस 002 (भाग-1)/ (भाग-2) (संशो.1) ; के अनुसार अपेक्षित श्रेणी के शीशे का साज समान सुनिश्चित होना चाहिए ;</p> <p>प्रतीक I/II /III /IV /V /VI /VII उस श्रेणी को विनिर्दिष्ट करता है जिससे शीशे की श्रेणी संबंधित है, शीशे को बनाने के लिए सुनिश्चित की जाएगी ; अच्छी स्थिति में शीशे का साज समान</p>

						सुनिश्चित किया जाएगा।
(6)	सुरक्षा शीशा (विंडस्क्रीन)	नहीं	हां	दृश्यता	(क) नियम 100 और आई एस: 2553 (भाग 2) (ख) 1 अप्रैल, 2021 से रजिस्ट्रीकृत यानों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो लाइसेंस बना रहा है।	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) फास्ट टैग/ परिमित्स/ बैज से शीशे के टके होने के सिवाय, विंडस्क्रीन पारदर्शी होगा; (ii) विंडस्क्रीन के उपयोग के लिए लैमिनेटेड सुरक्षा शीशा साफ होगा और आई एस : 2553 (भाग 2) में यथा विनिर्दिष्ट ट्रेडमार्क या विनिर्माता के लोगों के अतिरिक्त "एस डब्लू" या II या IV या III/पी के निशान होंगे ; (iii) शीशा क्षतिग्रस्त या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए रंगीन झिल्ली शीशे पर नहीं चिपकी होगी।
(7)	हॉर्न	नहीं	हां	दृश्यता और कार्यात्मक	आई एस-1884 नियम 119 और आई एस 15796	(1) दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) विभिन्न स्वरों का अनुक्रमण देने वाले मल्टीटोंड हॉर्न या अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाली युक्ति जो अनुचित रूप से कर्कश, कर्णभेदी, कोलाहलपूर्ण या डरावनी आवाज निकालते हों, का उपयोग नहीं किया जाएगा ; (ii) हॉर्न सुरक्षित तरीके से फिट होगा; (iii) हॉर्न क्रियाशील होगा (2) कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता : मोटर पर लगे हार्न का ध्वनि दाब स्तर आई एस :15796 के अनुसार होगा।
(8)	ध्वनिमंदक	नहीं	हां	दृश्यता	नियम 120 और आई एस 10399:1998	दृश्यता परीक्षण मानदंड: (i) सुनिश्चित करें कि कोई निःसरण नहीं हो रहा है;

						<p>(ii) ध्वनि मंदक की फिटिंग सुरक्षित करें;</p> <p>(iii) ध्वनिमंदक जंग लगा या क्षतिग्रस्त नहीं होगा ;</p> <p>कार्यात्मक परीक्षा की आवश्यकता :</p> <p>आई एस : 10399: 1998 के अनुसार स्थिर शोर परीक्षण</p>
--	--	--	--	--	--	--

(9)	हवा रोक शीशा वाइपर					
	(क) हवा रोक शीशा वाइपर फलक	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 101, ए.आई.एस-045 आई.एस.15804 और आई एस 15802	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) वाइपर फलकों की उपस्थिति सुनिश्चित करना; (ii) वाइपर फलक अच्छी दशा में होना चाहिए
	(ख) हवा रोक शीशा वाइपर प्रणाली	नहीं	हां	कार्यात्मक	नियम 101, ए.आई.एस.-045, आई एस :15804 और आई एस : 15802	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) हवा रोक शीशे के अधिकतम क्षेत्र को आच्छादन के लिए प्रत्येक वाइपर बाहु (बाहुल) प्रचालन सुनिश्चित करना (ii) तिपहिया वाहन से भिन्न यानों के लिए हवा रोक शीशा इस प्रकार विखंडन में, वाइपर प्रत्येक हवा रोक शीशा के लिए करणीय होगा वाइपर सुनिश्चित रूप से फिट किया जाएगा ।
(10)	डैश बोर्ड उपस्कर	नहीं	हां	दृश्यमान	ए.आई.एस-071 (भाग 1)	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) आरोहण सुरक्षित को सुनिश्चित करना (ii) तार विद्युत रोहित होगा (iii) डैश बोर्ड प्रदीपन कार्यात्मक होगा (iv) ब्रेक प्रणाली चेतावनी बैटरी ओ बी डी या इंजन अकृत्य इजनशीत तक ताप मान शेष प्रदीपन नहीं होगा ।

(11)	रेचन					
	(क) रेचन गैस उत्सर्जन (पेट्रोल/सीएनजी/ एलपीजी/ चालन संचालित यानों के लिए लागू)	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(i)	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं सारणी और नियम 115(2)(i) के नियम के सारणी और सारणिक में विनिर्दिष्ट मानकों को क्रियाहीन उत्सर्जन के साथ पेट्रोल/ सी एन जी /एल पी जी
	(ख) धुआं घनत्व (डीजल यानों के लिए निःशुल्क त्वरण परीक्षण के लिए लागू)	हां	नहीं	कार्यात्मक	नियम 115 (2)(ii)	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं : नियम 115 (क)(ii) में उल्लिखित “सारणी” के अनुसार डीजल संचालित यानों के लिए धुआं घनत्व सीमाएं होंगी ।
(12)	ब्रेकिंग प्रणाली	हां	हां	दृश्यमान और कार्यात्मक	ए.आई.एस - 128	(I) दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) जुड़नार सुरक्षित किया जाएगा; (ii) ब्रेक क्षेत्र क्षति या दरक नहीं होगी; (iii) ब्रेक द्रव का रिसाव न हो; (II) कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं रोलर पर परिभिव ब्रेकिंग निपुणता ब्रेक परीक्षण कम से कम 27.23 प्रतिशत होनी चाहिए ।
(13)	परिचालन गियर	हां	हां	कार्यात्मक	नियम 98	कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं बैंक लैश/ परिचालन गियर में 30 डिग्री से कम नहीं होगा ।
(14)	तरफ फिसलन परीक्षण (3-चौपहियों के सिवाए यानों के सभी प्रवर्गों के लिए यह परीक्षण लागू होता है)	नहीं	नहीं	कार्यात्मक के अनुसार	विनिर्देशन के अनुसार	
(15)	प्रलंबन परीक्षण (3- तिपहियों अपवर्जित 3.5 तक जी. वी. डब्ल्यू यानों के लिए लागू)	नहीं	नहीं	कार्यात्मक		कार्यात्मक परीक्षण अपेक्षाएं: अंतर के बीच प्रलंबन प्रणाली वाए अनुपुरक नहीं है और यान दाहिने की तरफ हो ।
(16)	जोड़ गतिविधि परीक्षण	नहीं	हां	दृश्यमान कार्यात्मक		दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (क) प्रलंबन प्रणाली : (i) चेजिज या धूरी के लिए स्पिंग और धक्का अवशोषक के आसंग

						<p>को सुरक्षित को सुनिश्चित करना;</p> <p>(ii) स्प्रिंगों को क्षतिग्रस्त या विभंजित नहीं होगा;</p> <p>(iii) धक्का अवशोषक अवमंदकों में किसी तेल में रिसाव नहीं होगा;</p> <p>(iv) चूल छल्ला पिन या प्रवणी या प्रलंबन जोड़ों पर अधिक घटित नहीं होगा ;</p> <p>(v) वायु प्रलंबन के मामले में श्रवण योग्य प्रणाली में रिसाव ना सुनिश्चित करना</p> <p>(ख) धूरी :</p> <p>(i) धूरी यान को आबद्ध सुरक्षित करना ;</p> <p>(ii) धूरी को विभंजित या विकृत नहीं होगा ;</p> <p>(iii) चूलछल्ला या पिन या प्रवणी में अत्यधिक पहनना घटित नहीं होगा ।</p>
(17)	स्पीडोमीटर					
	(क) स्पीडोमीटर	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 117 और आई एस 11827-2008	<p>दृश्यमान निरीक्षण मानदंड:</p> <p>(i) सुरक्षित ठीक किया गया ;</p> <p>(ii) पर्याप्त रूप से प्रदीपन करना;</p> <p>(iii) डायल आच्छदन खंडित नहीं होगा;</p> <p>(iv) संकेतक सुई का परिचालन ।</p>
	(ख) स्पीडोमीटर परीक्षण (ई-रिक्शा या ई-छकड़ा के लिए)	नहीं	नहीं	कार्यात्मक	विनिर्देशन के अनुसार	<p>सीधा या सपाट सड़क पर बिना लक्ष्य की दशा (पूर्ण भाड़ा के साथ और पूर्ण संकलक पर की स्थिति पर) बिनालादे में यान संचालन होगा और जब यान पूर्ण गति प्राप्त करता है, अधिक गति नियतन दूरी (अर्थात् 50मीटर) यात्रा को समय लेने पर माप द्वारा परिकलित किया जाएगा ।</p>
(18)	चालन संरक्षण के अधीन पृष्ठ भाग युक्ति एन 2, एन 3, टी 3	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 124(1क) और आई.एस. 14812-2005	<p>दृश्यमान निरीक्षण मानदंड:</p> <p>(i) पृष्ठ भाग अधो सवारी संरक्षण दरकदार, संक्षरित या</p>

	और टी 4 के लिए युक्ति					क्षतिग्रस्त नहीं होगा ; (ii) यह सुनिश्चित करना कि भूमि निकासी और पृष्ठ भाग अधो सवारी संरक्षण मुक्ति आई एस. 14812-2005 के अनुसार होगा ।
(19)	एन 2, एन 3, टी 3 और टी 4 के लिए चलने के लिए अधीन पाशर्वीय	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 124 (1क) और आई 14682-2004	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड: (i) चालन संरक्षण युक्ति के अधीन पाशर्वीय फिट किया जाएगा ; (ii) युक्ति संरक्षण चालन के अधीन पाशर्वीय दरकदार संक्षरित या क्षतिग्रस्त नहीं होगा ; (iii) सुनिश्चित करना कि संरक्षण युक्ति चालन के अधीन पाशर्वीय आई. एस. 1468202004 के अनुसार होगा।
(20)	शीघ्रगामी चिप्पी	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम 138(क)	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) ध्वारोक शीशा मुख पर चिपकाया जाए ; (ii) शीघ्रगामी चिप्पी क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए ।
(21)	त्रिभिन्न रूप से योग्य यात्रियों और गतिशीलता मेंकमी यात्रियों के साथ के लिए पूर्वीकता सीटों पर पूर्वीकता सीटें, संकेत सहारों को सुरक्षित होना/बेंत/पक्ष पदाचारी हस्त रेल धूनी	नहीं	हां	दृश्यमान	उप-नियम(1) और नियम 125 ग का 7, ए.आई. एस. 052(पुनरीक्षित 1) और ए.आई. 153	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) पूर्वीकता सीट के साथ फिट की गई बसें बाहर से दृश्यमान चित्रलेख होगा, बस की तरफ पास मुख्य दोनो ओर सुसंगत सेवा द्वार के लिए निकटवर्ती हों ; (ii) चित्रलेख पूर्वीकता सीट के लिए आंतरिक निकटवर्ती स्थान होगा ; (iii) सभी प्रकार की बसें मिनी और मध्य बसों के मामले में सीटों में कम से कम दो यात्री होंगे और निशक्त व्यक्तियों के लिए पूर्वीकता सीटों के रूप में अभिहित अन्य बसों के मामले में चार यात्री होंगे । (iv) अग्रवर्ती-अग्रभाग प्रकार की पूर्वीकता सीटें केवल होगी और

						<p>अधिमानता चालक की सीट के पीछे अवस्थित होगी।</p> <p>(v) अशक्त व्यक्तियों के लिए सुविधाजनक यात्रा सुकर करने के लिए क्रच, बेत/ पदचारी सुरक्षित करने के लिए पूर्वीकता सीटें समुचित सुविधा प्रदान की जाएगी</p> <p>(vi) सभी प्रकार की बसें प्रवेश हस्थरेल या थमने को प्रदान किया जाएगा</p> <p>(vii) ठहरावों की आवश्यकता के लिए पूर्वीकता सीटों को सभी प्रकार आई एन डी एक्स बसें समीप नियंत्रणों को प्रदान किया जाएगा और जो चालक चेतावनी देता है कि बिना चढ़े के लिए उपयोक्ता इच्छा से गतिशील हो।</p> <p>(viii) किसी पूर्वीकता सीट के लिए संचार युक्तियों को सभी परखा जाएगा।</p>
(22)	विभिन्न रूप से योग्य विभिन्न यात्रियों के लिए व्हील चेअर प्रवेश आवासन अभिबंधन के लिए व्यवस्था और कमी गतिशीलता के साथ यात्री	नहीं	हां	दृश्यमान	उप-नियम (1)(1) और (7) 125 ग ((पुन 1) और ए.आई एस.-153	<p>दृश्यमान मानदंड :</p> <p>(i) बाहर की तरफ से पिकटोग्राम बसें स्थान में व्हील चेअर को फिट किया जाएगा, बस की तरफ बाहर दोनों अग्रभाग पर और सुसंगत सेवा द्वार के समीप हो</p> <p>(ii) उपदर्शन स्थान प्रत्येक व्हील चेअर के लिए पिकटोग्राम में से एक आरंभिक रूप से रखा जाएगा चाहे बस के अग्र या रियर अग्र भाग मुख्य भाग स्थिति में होना चाहिए।</p> <p>(iii) व्हील चेअर रोक योग्य रोक प्रणाली स्थान में प्रदान किया जाएगा।</p> <p>(iv) व्यक्ति की सहायता के बिना को व्हील चेअर उपयोक्ता के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करना।</p> <p>(v) प्रकार के यानों को व्हील चेअर उपयोक्ता व्हील चेअर कम से कम स्थान की पहचान को क्षेत्र होगा।</p>

						(vi) संचार युक्तियां व्हील चेअर क्षेत्र पहचाने के भीतर स्थित होगा।
(23)	यान स्थापन पथन (वीएलवी) युक्ति	नहीं	हां	दृश्यमान	ए.आई.एस.	दृश्यमान निरीक्षण मान दंड : (i) यान स्थापन अवसंस्थित किया जाएगा ; (ii) आपात चेतावनी बटन कार्य कर रहा है।
(24)	उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण	नहीं	हां	दृश्यमान	नियम और ए. आई. एस-159	दृश्यमान निरीक्षण मानदंड : (i) मुख पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेटों को संस्थापित किया जाएगा।

(25)	बैटरी	नहीं	हां	दृश्य	-	दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुरक्षित आधार; (ii) सुनिश्चित करें कि कोई रिसाव न हो; (iii) सुनिश्चित करें ऊपरी सतह स्वच्छ, शुष्क, धूल और कालिक से मुक्त हो।
(26)	सुरक्षा बैल्ट (सीट बैल्ट)	नहीं	हां	दृश्य	नियम 125 (1-क) और एआईएस-015 या आईएस 15140:2003	दृश्य निरीक्षण प्राचल: आज्ञापक सुरक्षा बैल्ट उपलब्ध होगी और सुरक्षित रूप से लगी हुई होगी; (i) सुरक्षा बैल्ट क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए; (ii) सुरक्षा बैल्ट स्थिरक ढीला नहीं हो; (iii) सीट बैल्ट अनुस्मारक प्रणाली, यदि उपलब्ध हो तो कार्य करनी चाहिए।
(27)	गति नियंत्रक	नहीं	हां	दृश्य और क्रियाशील	नियम:118 और एआईएस-018	दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुरक्षित रूप से लगा हुआ हो ; (ii) गति नियंत्रक सीलबद्ध होना चाहिए ;

						<p>(iii) गति नियंत्रक के बिजली तार असंस्कृत नहीं हो ;</p> <p>क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं:</p> <p>(i) 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित एम और एन प्रवर्ग के प्रत्येक परिवहन मोटर यान के लिए 80 कि.मी./घं. ;</p> <p>(ii) 1 अक्टूबर, 2015 को या उसके पश्चात् विनिर्मित परिवहन यानों के लिए जो डंपर, टैंकर, स्कूल बस है, जो परिसंकटमय माल का वहन करते हैं या ऐसे अन्य प्रवर्ग के यान, जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, अधिकतम गति सीमा 60 कि.मी./घं. या अन्य कोई गति सीमा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए होगी ।</p>
(28)	फुआरा निरोध युक्ति	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-013 (आरईवी.1)	<p>दृश्य निरीक्षण प्राचल:</p> <p>सुरक्षित रूप से लगे हुए फुआरा निरोध युक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करें।</p>
(29)	टायर	नहीं	हां	दृश्य	नियम 94 और नियम 95	<p>दृश्य निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(i) टायर में कोई भारी नुकसान या कटा हुआ न हो (वल्कनित मरम्मत से भिन्न बाहरी गुल्फत्राण पैवंद द्वारा पैवंद लगाया हुआ या मरम्मत किया हुआ) ;</p> <p>(ii) विनिर्माण के समय टायरों में लगे हुए तल्ला घिसाव उपदर्शक (पीडब्ल्यूआई) से नीचे तिपहिया यान, चौपहिया यान, ई-रिक्शा और ई-गाड़ी की दशा में गैर फिसलन गहराई (एनएसडी) 0.8 मि.मि. और अन्य मोटर यानों की दशा में 1.6 मि.मी. से कम न हो ;</p> <p>(iii) टायर में ठीक से हवा भरी हो;</p>

						<p>(iv) टायर, स्थानीय विकृति या उभाड़ द्वारा आरंभिक खराबी के चिन्ह नहीं दर्शाता हो;</p> <p>(v) टायर आवरक वस्त्र, तल्ले के घिसने या किसी अन्य बल्कनित सिरे या उसके किसी भाग में अपघर्षण के कारण प्रदर्शित नहीं होता हो ;</p> <p>(vi) अस्थायी अतिरिक्त पहिया या टायर पंचर मरम्मत किट उपलब्ध हो ।</p>
(30)	प्रति-परावर्तक परावर्तक टेप	और	नहीं	हां	दृश्य	<p>नियम:104, एआईएस-090 और एआईएस-037, एआईएस-057 और एआईएस-057 (आरईवी.1)</p> <p>दृश्य निरीक्षण प्राचल:</p> <p>(अ) परावर्तक-</p> <p>(i) स्वच्छ परावर्तकों की उपस्थिति सुनिश्चित करें ;</p> <p>(ii) परावर्तक सुरक्षित रूप से लगे हों ;</p> <p>(iii) परावर्तक क्षतिग्रस्त अवस्था में न हों ;</p> <p>(iv) यह सुनिश्चित करें कि परावर्तकों का रंग, नियम 104 के अनुसार हो अर्थात् पीछे के लिए लाल रंग और आगे के लिए सफेद रंग ।</p> <p>(आ) परावर्तक टेप –</p> <p>(i) स्वच्छ परावर्तक टेप की उपस्थिति सुनिश्चित करे ;</p> <p>(ii) यान के ढांचे में सुरक्षित रूप से लगा हुआ हो ;</p> <p>(iii) यह सुनिश्चित करें कि परावर्तक टेप का रंग और अवस्थिति, नियम 104 के अनुसार हो ;</p> <p>(iv) परावर्तक टेप क्षतिग्रस्त न हो ;</p> <p>(v) चिन्ह, दृश्य हो, अंकन सामग्री के बाहर स्पष्ट रूप से सुपाठ्य हो और अमिट ।</p>

विद्युत यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण						
(31)	विद्युत आघात से संरक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	हां	दृश्य और क्रियाशील	एआईएस-038 (आरईवी.1)	(1)दृश्य निरीक्षण प्राचल: (i) सुनिश्चित करें कि प्रवेश स्लाइव विद्युन्मय भागों को स्पर्श न करें ; (ii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष से भिन्न आईपीएक्सएक्सवी क्षेत्र के लिए परीक्षण की दशा में संयुक्त परीक्षण फिंगर को उसकी 80 मि.मी. लंबाई तक प्रवेश कराया जा सकेगा किंतु रोधन फलक (50 मि.मी. X20 मि.मी. व्यास) द्वार के माध्यम से बाहर न निकलें ; (iii) यात्री कक्ष या सामान कक्ष के भीतर आईपीएक्सएक्सडी परीक्षण की दशा में प्रवेश सलाई को उसकी पूरी लंबाई में प्रवेश कराया जा सकेगा लेकिन रोधन फलक द्वार के माध्यम से पूरी तरह प्रवेश न करें । (2) क्रियाशील परीक्षण अपेक्षाएं: (i) जब आईपीएक्सएक्सबी और आईपीएक्सएक्सडी की अपेक्षाएं सलाई और विद्युन्मय भागों के मध्य संकेत परिपथ द्वारा सत्यापित की जाती है तो यह सुनिश्चित करें कि बत्ती न जले ।
(32)	रोधन प्रतिरोध माप परीक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-038 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: रोधन प्रतिरोध माप 500Ω/वी से अधिक होना चाहिए ।
(33)	डैश बोर्ड पर चार्ज की अवस्था का उपदर्शक (एसओसी) एआईएस-038 हो आरईवी.1)	नहीं	हां	दृश्य	एआईएस-038 (आरईवी.1)	दृश्य निरीक्षण प्राचल: विनिर्माता द्वारा आपूर्ति किया गया एसओसी उपदर्शक बैटरी की चार्जिंग प्रास्थिति को देखने के लिए चालू हालत में होना चाहिए ।
दुपहिया यानों पर किए जाने वाले परीक्षण						
(34)	हैड लाइट	नहीं	हां	क्रियाशील और दृश्य	एआईएस-009 (आरईवी.1): 2011, खंड संख्या 6.2.5.2	उस दशा के सिवाय जहां एक बाहरी समायोजन युक्ति उपस्थित है, पासिंग बीम हैड लैंप का उध्वाधर ढाल

						0.5 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत के मध्य रहना चाहिए।
(35)	निकास गैस विश्लेषक	नहीं	हां	क्रियाशील	नियम 115(2)(i)	
(36)	रोलर ब्रेक परीक्षण	नहीं	हां	क्रियाशील		
दुपहिया विद्युत यानों पर किए जाने वाले अतिरिक्त परीक्षण						
(37)	विद्युत आघात से संरक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी हो	नहीं	हां	दृश्य और क्रियाशील	एआईएस- 038 (आरईवी.1)	
(38)	रोधन प्रतिरोध माप परीक्षण (केवल विद्युत यानों के लिए) यदि प्रणाली का वोल्टेज > 60 वी डीसी या 30 वी एसी	नहीं	हां	क्रियाशील	एआईएस- 038 (आरईवी.1)	

प्रत्येक मद के सामने उद्धृत संदर्भ और मानक यह निर्देशित करते हैं कि सारणी-घ के अनुसार क्रम सं. 14, 15 और 16 के सिवाय, केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 और संबद्ध एआईएस/आईएस में उपबंध विद्यमान हैं, जिन्हें यान की हालत के बारे में रजिस्ट्रीकृत स्वामी या प्राधिकृत प्रतिनिधि को सूचित किया जाना है।

स्पष्टीकरण.- शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि मद अर्थात् फास्टटैग, यान अवस्थिति खोज युक्ति (वीएलटी), उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (एसएसआरपी), सुरक्षा बैल्ट (सीट बैल्ट), बैटरी, गति मीटर, गति नियंत्रक आदि जिनका उपरोक्त सारणी के स्तंभ (3) के अनुसार स्वचालित परीक्षण उपकरणों के माध्यम से परीक्षण नहीं किया जा सकता है, उनका परीक्षण इन नियमों के लागू उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(2) यान को परीक्षण पथ पर ले जाने से पहले दृश्य जांच पड़ताल (यान की आंतरिक और बाहरी जांच पड़ताल) की जाएगी।

(3) स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर क्रियाकलापों को संतुलित करने के लिए परीक्षण पथ को तीन स्टेशनों में पृथक् किया जा सकेगा और नीचे दी गई सारणी-ड के अनुसार प्रत्येक स्टेशन पर निम्नलिखित परीक्षण किए जा सकेंगे

[सारणी-ड]

स्टेशन-1	स्टेशन-2	स्टेशन-3
<ul style="list-style-type: none"> • प्रचालक का आरएफआईडी अधिप्रमाणन • उत्सर्जन परीक्षण • हार्न परीक्षण • निकास ध्वनि परीक्षण • गति मीटर परीक्षण • गति नियंत्रक परीक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रचालक का आरएफआईडी अधिप्रमाणन • साइड स्लिप परीक्षण • आगे और पीछे का सस्पेंशन परीक्षण • सर्विस ब्रेक और पार्किंग ब्रेक परीक्षण 	<ul style="list-style-type: none"> • प्रचालक का आरएफआईडी अधिप्रमाणन • धुरी प्ले संसूचक का प्रयोग करते हुए ढांचे के अंदर दृश्य निरीक्षण • स्टेयरिंग कोण परीक्षण • हैड लाइट परीक्षण

प्रचालक, पथ और पथ के अभिन्यास और प्रवाह क्षमता पर निर्भर करते हुए पथ के प्रत्येक स्टेशन पर किए जाने वाले परीक्षणों (उपरोक्त सारणी में यथा उल्लिखित) के विभिन्न संयोजनों का चयन कर सकेगा।

(4) सभी स्टेशन, रेडियो आवृत्ति पहचान, स्मार्ट कार्ड और समतुल्य युक्ति को पढ़ते हुए लॉगिन और पासवर्ड स्वीकार करने की क्षमता रखेंगे और परीक्षण रिमोट द्वारा किए जाएंगे ताकि किसी हस्तचालित हस्तक्षेप को न्यूनतम रखा जाए।

(5) स्वचालित परीक्षण स्टेशन में यान पर की गई सभी दृश्य जांच पड़ताल की मोबाइल युक्ति का प्रयोग करते हुए फोटो ली जाएगी और उन्हें संपरीक्षा और निर्धारण प्रयोजनों के लिए कम से कम छह माह के लिए परीरक्षित किया जाएगा।

190. स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए उपस्कर विनिर्देश.- (1) स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर उपयोग किए गए उपस्कर, अधिनियम के धारा 58 में यथा अधिसूचित अधिकतम सुरक्षित धुरी भार को मापने में समर्थ होंगे।

(2) उपस्कर, उपयुक्तता प्रणाली के अधीन यान के सभी प्रवर्गों का परीक्षण करने में समर्थ होंगे।

(3) उपस्कर का साफ्टवेयर, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित निरीक्षण में उपांतरण अनुज्ञात करेगा।

(4) सभी उपस्कर, निम्नलिखित पर्यावरणीय दशाओं में संचालित होने में समर्थ होंगे, अर्थात्:-

(i) 0° सी से 55° सी तापमान फरास ;

(ii) 95 प्रतिशत तक आर्द्रता ;

(iii) धूल: विशिष्ट भारतीय परीक्षण स्थिति।

(5) स्वचालित परीक्षण स्टेशन पर उपयोग किए गए उपस्कर, नीचे दी गई सारणी-च में दिए गए निम्नलिखित विनिर्देशों के अनुपालन में होंगे:-

[सारणी-च]

क्र.सं.	उपकरण	तकनीकी विनिर्देश	
		हल्के वाणिज्यिक यान	मध्यम और भारी वाणिज्यिक यान
1.	रोलर ब्रेक परीक्षक	<p>(क) अधिकतम माप योग्य ब्रेक भार कम से कम 6 केएन हो</p> <p>(ख) बायीं और दायीं ब्रेकिंग क्षमता में अंतर</p> <p>(ग) ब्रेक भार वियोजन ≤ 100 एन</p> <p>(घ) उपयुक्त रोलर का व्यास, लंबाई और पृथक्करण इस नियम के खंड (7) में दी गई मैट्रिक्स के अनुसार हो</p> <p>(ङ) यान में आसानी से निकास के लिए रोलर को उठाने और रोकने के लिए उपबंध</p> <p>(च) आसन्न परीक्षण गति: 5 कि.मी./घं. \pm 1 कि.मी./घं.</p> <p>(छ) रोलर की सतह</p> <p>i. न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (समर्थक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है)</p> <p>ii. सेवा अवधि: न्यूनतम 25000 घंटे</p> <p>(ज) माप शुद्धता – मापे गए मान का ± 1 प्रतिशत</p> <p>तिपहिया यानों के परीक्षण के लिए आगे के पहिए के लिए एक अतिरिक्त रोलर हल्के वाणिज्यिक</p>	<p>(क) अधिकतम माप योग्य ब्रेक भार कम से कम 40 केएन हो</p> <p>(ख) बायीं और दायीं ब्रेकिंग क्षमता में अंतर</p> <p>(ग) ब्रेक भार वियोजन ≤ 100 एन</p> <p>(घ) उपयुक्त रोलर का व्यास, लंबाई और पृथक्करण इस नियम के खंड (7) में दी गई मैट्रिक्स के अनुसार हो</p> <p>(ङ) यान में आसानी से निकास के लिए रोलर को उठाने और रोकने के लिए उपबंध</p> <p>(च) आसन्न परीक्षण गति: न्यूनतम 2.5 कि.मी./घं.</p> <p>(छ) रोलर की सतह</p> <p>(ज) न्यूनतम घर्षण गुणांक 0.6 (समर्थक दस्तावेज उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है)</p> <p>(झ) सेवा अवधि: न्यूनतम 25000 घंटे</p> <p>(ञ) माप शुद्धता – मापे गए मान का ± 1 प्रतिशत</p>

		यान पथ में उपलब्ध कराया जाना चाहिए और यह इस प्रकार अवस्थित हो कि आगे के पहिए का उचित रूप से परीक्षण किया जा सके।	
2.	धुरी भार माप	(क) प्रत्येक धुरी भार के माप के लिए भार तोलन स्केल अपेक्षित है। प्रणाली को इसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार/चक्का भार द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए। (ख) माप रेंज: 0 कि.ग्रा. - 3000 कि.ग्रा. (ग) वियोजन 5 कि.ग्रा. (घ) विशुद्धता ± 1 प्रतिशत	(क) प्रत्येक धुरी भार के माप के लिए भार तोलन स्केल अपेक्षित है। प्रणाली को इसे यान के धुरी भार, खाली यान का भार/चक्का भार द्वारा अवधारित किया जाना चाहिए। (ख) माप रेंज: 0 कि.ग्रा. - 15000 कि.ग्रा. (ग) वियोजन 5 कि.ग्रा. (घ) विशुद्धता ± 1 प्रतिशत

3.	सस्पेंशन टेस्टर	(क) एक्साइटेसन का आयाम 6.5 मि. मी. +/-5 मि. मी. (ख) माप सटीकता- $\pm 1\%$ पहिया भार	(क) एक्साइटेसन का आयाम 6.5 मि. मी. +/-5 मि. मी. (ख) माप सटीकता- $\pm 1\%$ पहिया भार
4.	साइड स्लिप टेस्टर	(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/किमी (ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी (घ) सटीकता ± 1.0 मी/किमी	(क) ट्रेक प्लेट की लंबाई, वजन और ऊंचाई का उपयुक्त आयाम (ख) मापने की सीमा: ± 20 मी/किमी (ग) मापने का रिजॉल्यूशन: 1 मी/किमी
5.	ज्वाइंट प्ले टेस्टर	(क) कम से कम 06 के.एन प्रति प्लेट अधिकतम बल (ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :50-80 मि. मी. (हाइड्रोलिक)	(क) कम से कम 40 के एन प्रति प्लेट अधिकतम बल (ख) प्रत्येक तरफ अधिकतम गति :100 मि. मी. (हाइड्रोलिक)
6	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले डिटेक्टर	(क) ± 30 डिग्री तक के कोणीय गति तक की माप में सक्षम (ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र (ग) माप सटीकता- $\pm 2\%$ पूर्ण माप विचलन	(क) ± 30 डिग्री तक के कोणीय गति तक की माप में सक्षम (ख) स्टीयरिंग गति के विरुद्ध पहिया चालन को मापने के लिए रिकॉर्डिंग तंत्र (ग) माप सटीकता- $\pm 2\%$ पूर्ण माप विचलन
7	पूर्ण स्वचालित हेड लाइट परीक्षक	(क) लाइट इंटेन्सिटी रेंज माप (न्यूनतम): 0-100,000 सीडी (ख) रोशनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स (ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टेस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए।	(क) लाइट इंटेन्सिटी रेंज माप (न्यूनतम): 0-100,000 सीडी (ख) रोशनी तीव्रता सीमा माप: 0-200 लक्स (ग) उनके केंद्र जमीन के स्तर से ऊपर 500 मिमी से 1200 मिमी के साथ हेडलाइट टेस्टर के पास ऑटो फोकस करने की क्षमता अवश्य होनी चाहिए और उनके साथ हेडलैम्प को मापने में सक्षम होना चाहिए। (घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: ± 500 सेमी / 10 मीटर ($\pm 5\%$)।

		<p>(घ) ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज माप सीमा: ± 50 सेमी / 10 मीटर ($\pm 5\%$)।</p> <p>ड) तीव्रता अधिकतम विचलन: $\pm 5\%$ प्रसार।</p> <p>च) हेडलैप टैस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है।</p>	<p>(ड) तीव्रता अधिकतम विचलन: $\pm 5\%$ प्रसार।</p> <p>(च) हेडलैप टैस्टर को एक पूरी तरह से स्तरीय पृष्ठ/रेल पर पर रखा जाना है।</p>
8	ओपेसीमीटर	एम ओ आर टी एच/ केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 (भाग 8) के अनुसार विनिर्देश को पूरी करने के लिए उपकरण।	(क) एम ओ आर टी एच/ केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 (भाग 8) के अनुसार विनिर्देश को पूरी करने के लिए उपकरण।
9	निकास गैस विश्लेषक	<p>(क) उपकरण को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए</p> <p>(ख) सुसंगतनियम 115 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम सीमा</p> <p>(ग) मीजरिंग रिज़ॉल्यूशन को निम्नलिखित के रूप में होना है :</p> <p>(i) सीओ: 0.01%</p>	<p>(क) उपकरण को केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989/ टी पी ए 115/116 या ए आई एस 137 के अनुसार गैसोलीन, सीएनजी, एलपीजी के गैस उत्सर्जन को मापना चाहिए</p> <p>(ख) सुसंगत नियम 115 से संबंधित प्रावधानों के अनुसार न्यूनतम सीमा</p> <p>(ग) मीजरिंग रिज़ॉल्यूशन को निम्नलिखित के रूप में होना है :</p> <p>(i) सीओ: 0.01%</p>
		<p>(ii) सीओ₂: 0.1%</p> <p>(iii) एचसी: 1पीपीएम</p> <p>(iv) ओ₂: मापित मानों के लिए 0.02% \leq 4% और 0.1% मान और मापित मानों के लिए $> = 4\%$</p> <p>(v) लैम्ब्डा: 0.001</p> <p>(घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन ± 20 आरपीएम या रीडिंगका $\pm 2\%$ होगा, जो भी अधिक हो।</p> <p>(ड.) निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है।</p> <p>(ii) निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल किया जाना है।</p>	<p>(ii) सीओ₂: 0.1%</p> <p>(iii) एचसी: 1पीपीएम</p> <p>(iv) ओ₂: मापित मानों के लिए 0.02% \leq 4% और 0.1% मान और मापित मानों के लिए 0.1% $> = 4\%$</p> <p>(v) लैम्ब्डा: 0.001</p> <p>(घ) आरपीएम काउंटर में अनुमत अधिकतम विचलन ± 20 आरपीएम या रीडिंगका $\pm 2\%$ होगा, जो भी अधिक हो।</p> <p>(ड.) निकास गैस के उपयुक्त विश्लेषण के लिए प्रोब को टेल पाईप पर यांत्रिक रूप से लगाया जाना है।</p> <p>(ii) निकास गैस उत्सर्जन के कारण परिवेशी वायु गुणवत्ता में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। शेड से निकास गैस निकालने के लिए उपयुक्त तंत्र को शामिल किया जाना है।</p>

10	स्पीडोमीटर टेस्टर / स्पीड गवर्नर टेस्टर	<p>(क) इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार ट्रेक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम</p> <p>(ख) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान</p> <p>(ग) मापने की सीमा: 20-160 किमी/घंटा</p> <p>(घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी / घंटा</p> <p>(ङ) पूर्ण माप की सटीकता $\pm 1\%$</p> <p>(ड.) तिपहियों के लिए अलग से स्पीडोमीटर लगाना चाहिए।</p>	<p>(क) इस अनुलग्नक के खंड (7) में दिए गए मैट्रिक्स के अनुसार ट्रेक वजन, रोलर व्यास और एक्सल पृथक्करण का उपयुक्त आयाम</p> <p>(ख) वाहन के आसान निकास के लिए रोलर को उठाने और ब्रेक लगाने का प्रावधान</p> <p>(ग) मापने की सीमा: 20-160 किमी/घंटा</p> <p>(घ) रिजोल्यूशन: 1 किमी/घंटा</p> <p>(ड.) तिपहियों के लिए अलग से स्पीडोमीटर लगाना चाहिए।</p>
11	ध्वनि स्तर मीटर	<p>(क) आईईसी60651/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित</p> <p>(ख) मापने का स्तर: ≥ 30 डीबी से ≤ 120 डीबी</p> <p>(ग) फ्रीक्वेंसी कऔर ग</p>	<p>(क) आईईसी60651/आईईसी 61672-1 के अनुसार अनुशंसित</p> <p>(ख) मापने का स्तर: ≥ 30 डीबी से ≤ 120 डीबी</p> <p>(ग) फ्रीक्वेंसी कऔर ग</p>
		<p>घ) सटीकता - ± 1.5 डीबी</p> <p>ङ) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया</p> <p>च) 220वीएसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पावर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना</p> <p>परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।</p>	<p>घ) सटीकता - ± 1.5 डीबी</p> <p>ङ) ट्राइपोड स्टैंड लगाया गया</p> <p>च) 220वीएसी और यूएसबी के आउटलेट से चार्ज करने के पावर स्रोत के लिए बैटरी का निर्माण करना</p> <p>परीक्षण स्टेशन पर स्पष्ट रूप से ध्वनि स्तर मीटर के स्थान को चिह्नित किया जाना है।</p>

दुपहियों के लिए तकनीकी विनिर्देश

12.	रोलर ब्रेक टेस्टर	मानदंड	तकनीकी विनिर्देश
		(क) प्रत्येक पहिया लिए अधिकतम भार चार्ज	1 टी
		(ख) अधिकतम मापयोग्य ब्रेक भाग	3 के एन
		(ग) न्यूनतम रोलरव्यास	200 एम एम
		(घ) न्यूनतम रोलर पृथक्करण	380 एम एम
		(ड.) न्यूनतम रोलर लंबाई	350 एम एम

		(च) न्यूनतम हवीलबेस	800 एम एम
		(छ) अधिकतम हवीलबेस	1500 एम एम
		(ज) रोलर सतह न्यूनतम घर्षण गुणांक	0.6
		रोलर सतह सेवा जीवन	न्यूनतम 50000 घंटे
		ब्रेक भार समाधान	≤ 100 एन
		ब्रेक भार सटीकता	± 100 एन माप मूल्य
			5 कि. मी. /प्रति घंटा
13.	हेडलाइट टेस्टर	मानदंड	तकनीकी विनिर्देश
		(क) प्रकाश तीव्रता परास माप	0-100000 सीडी
		(ख) प्रदीप्ति तीव्रता परास माप	0-200 लक्स
		(ग) भूमिस्तर से ऊपर उसके केन्द्र के साथ हेडलैंप को मापने में सक्षम हेडलाइट टेस्टर	240 एम एम से 1500 एम एम
		(घ) उर्ध्वाधर और क्षैतिज माप परास	± 50 सेमी/10एम ($\pm 5\%$)
		(ड.) तीव्रता का अधिकतम वचलन	पाठ्यांक का $\pm 5\%$
		(च) हेडलैंप टेस्टर पूरी तरह से समतल सतह/रेल्स पर रखा जाना चाहिए	

(6) स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए न्यूनतम सूचना तकनीकी हार्डवेयर की आवश्यकता निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, अर्थात् :-

[सारणी-छ]

क्र. सं.	उपकरण	विनिर्देश
1	सर्वर विनिर्देशनों	(क) प्रोसेसर का प्रकार: इंटेल जीनानस्केलेबल वी 2 या बेहतर (ख) प्रोसेसर: न्यूनतम 12 कोर/प्रोसेसर या बेहतर (ग) मेमोरी: 64 जीबी डीडीआर 3 या ज्यादा (घ) बिजली की आपूर्ति: 650 डब्ल्यूअतिरिक्त पावर आपूर्ति (ड.) इंटरनल स्टोरेज: उपक्रम एसएसडी 7 टीबी या बेहतर (च) हॉट स्वैप या बेहतर
2	डेस्कटॉप विनिर्देशनों	(क) इंटेल® 10 वीं पीढ़ी का कोर™ आई7 प्रोसेसर या बेहतर (ख) 3.0 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी, या बेहतर (ग) 1 टीबी एस एस डी/ एन बी एम ड्राइव (घ) 8 जीबी 1333 मेगाहर्ट्ज डीडीआर 3 एसडीरैम या बेहतर

3	प्रिंटर विनिर्देशनों	<p>(क) लेजर और डुप्लेक्स प्रिंटर (काला और रंगीन)</p> <p>(ख) पीपीएम- 30 या बेहतर</p> <p>(ग) समर्थित पृष्ठ का आकार - ए4, बी5, ए5, लीगल, पत्र, विवरण, कार्यकारी, सरकारी पत्र, सरकारी लीगल, फुलस्कैप, भारतीय लीगल कस्टम (न्यूनतम 76.2 x 210 मिमी से अधिकतम 216 x 356 मिमी)</p> <p>(घ) प्रिंट रिजोल्यूशन- 600x 600 डी पी आई या बेहतर</p>
4	नंबर प्लेट रीडर कैमरा	<p>(क) फ्रेम प्रति सेकंड 50</p> <p>(ख) मेगापिक्सेल 2.0 या उच्चतर</p> <p>(ग) वीआई एफ प्रोटोकाल पर</p> <p>(घ) आई पी67</p>
5	गति डोम कैमरा	<p>(क) इमेज सेंसर 1/3 " प्रगतिशील स्कैन सीएमओएस</p> <p>(ख) 20 x ऑप्टिकल या बेहतर; / डिजिटल ज़ूम कैमरा</p> <p>(ग) 30xमोटर चालित ज़ूम लेंस और ऑटो फोकस</p> <p>(घ) मेगापिक्सेल: 2.0 या उच्चतर</p> <p>(ङ) आईपी67</p> <p>(च) आईके10</p>
6	नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर	<p>(क) मल्टीप्लेक्स रिकॉर्डिंग शेड्यूल विकल्प: मैन्युअल, अलार्म, मोशन डिटेक्शन, टाइमिंग</p> <p>(ख) मल्टीप्लेक्स ऑपरेशन: लाइव व्यू, रिकॉर्ड, प्ले बैक, बैकअप और साथ-साथ में सिस्टम को दूर से नियंत्रित करते हैं</p> <p>(ग) 1080पीरिजोल्यूशन तक एचडीएमआई और वीजीए आउटपुट एक साथ</p> <p>(घ) एच.265 हाई प्रोफाइल डिकोडिंग, 2 एसएटीए एचडीडी इंटरफ़ेस: अधिकतम 8 टीबी भंडारण क्षमता या अधिक</p>
7	अन्य आवश्यक उपकरण	<p>(क) सीसीटीवी से देखने वालेके साथ स्मार्टटीवी</p> <p>(ख) परीक्षण करने लिए एलसीडी/एलईडी</p>

(7) परीक्षण किए जाने वाले वाहनों के लक्षण नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगी, अर्थात् :

सारणी - ज

क्रम सं.	ब्यौरा	तिपहिया		क्वाड्रिसाइकिल		चौपहिया (एम1, एन1)		चौपहियाएलसीबी (एम2, एन2)		एचसीबी (एम3, एन3)			
		न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	न्यून	अधिक	ट्रक (एन3)		बस (एम3)	
										न्यून	अधिक	न्यून	अधिक
1.	फ्रंट एक्सल भार (किलोग्राम)	90	260	215	215	420	1285	1045	4150	1235	8951	360	6160
2.	रियर एक्सल भार किलोग्राम	205	780	308	308	315	1395	810	7840	810	10224	1360	8900
3.	कर्ब भार किलोग्राम	203	800	474	474	730	2625	1210	5440	2045	19175	2660	15000
4.	जीवीडब्ल्यू किलोग्राम	610	2150	823	823	935	3490	1960	11990	12990	47500	5000	22000
5.	व्हील बेस मिमी	1590	3070	1925	1925	2050	3264	2100	4500	2500	6750	2654	8350
6.	व्हील ट्रैक मिमी फ्रंट	-	-	1143	1143	1300	1690	1310	2022	1410	2124	1630	2054
7.	व्हील ट्रैक मिमी रियर	1150	1540	1143	1143	1315	1705	1343	1814	1406	1926	1486	1880
8.	लंबाई मिमी	2080	2510	2752	2752	1402	5226	3790	7965	4634	11994	5125	15000
9.	चौड़ाई मिमी	1100	1520	1312	1312	1495	2173	1500	2470	1870	2590	1910	2600
10.	ऊंचाई मिमी	1635	2070	1652	1652	1297	2750	1890	3410	2530	3940	2200	3730
11.	ओवरहैंग फ्रंट मिमी	-	-	387	387	464	1297	760	2280	1050	1695	1000	2500
12.	ओवरहैंग रियर मिमी	443	790	440	440	405	1375	710	2385	805	3484	1250	3560
13.	ग्राउंड क्लियरेंस मिमी	150	255	158	158	89	220	150	375	176	300	150	259
14.	टीसीडी एम	-	-	6.96	6.96	8.33	12.6	8.5	19.7	12.3	23.99	11.17	23.4
15.	टीसीसीडी एम	-	-	7.32	7.32	7.95	13.5	9.8	21.2	14	25.5	12.84	27.2

4. उक्त नियमों में, प्ररूप 60 के पश्चात्, निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

“प्ररूप 61

[नियम 175(5) देखें]

एक स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरणप्रमाणपत्र का प्ररूप

प्रारंभिक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र सं.....

तारीख.....

प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.....के लिए स्वीकृत किया गया है।

(नाम और पूरा पता)

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन की स्थापना के लिए परिसर.....

(परिसर का पूरा पता)

मोटरयान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रावधानों के अधीन, परिवहन-गैर-परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण और जारी करने के उद्देश्य के लिए।

यह प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र.....से..... तक वैध है

तारीख.....

पंजीकरण प्राधिकरण, पंजीकरण प्राधिकारी की मुहर

प्ररूप 62

[नियम 175(9) देखें]

स्वचालित परीक्षण स्टेशन के जारी या नवीकरण करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्ररूप

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र सं.....

तारीख

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए स्वीकृत किया गया है।

(नाम और पूरा पता)

अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के अधीन स्वचालित परीक्षण स्टेशन के प्रचालन के प्रारम्भ करने/प्रचालन को जारी रखने के लिए परिसर

(परिसर का पूरा पता)

मोटरयान अधिनियम, 1988 और केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के प्रावधानों के अधीन, परिवहन-गैर-परिवहन वाहनों के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीकरण और जारी करने के उद्देश्य के लिए।

3. प्रस्तावित लेनों की संख्या	दुपहिया /तिपहिया	हलके मोटर वाहन	मध्यम और भारी मोटर वाहन
4. भूमि ब्यौरे	1. स्थिति स्वामित्व के ब्यौरे /पट्टा (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)		

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____

(स्वामी और /या आपरेटर)

तारीख _____

प्ररूप 64

[नियम 175(7) देखें]

स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए अनुदान या नवीकरण का अनुदान या नवीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्ररूप

के लिए आवेदन	कृपया सही का निशान लगाएं
नया रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना	
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का नवीकरण	

1. कार्यालय प्रयोग के लिए

प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र संख्या	
आवेदन सं.	
आवेदन की तारीख	
शुल्क	
सुरक्षा जमा राशि	

2. सामान्य सूचना

क	नाम		
ख	पता		
ग	दूरभाष		

घ	ईमेल आईडी		
ड.	सीआईएन/ शाप एक्ट रजिस्ट्रीकरण संख्या/ उड्याम आधार संख्या		
च	पैन		
छ	जीएसटी संख्या		

ज	स्थिति (कृपयासही का निशान लगाएं)	कंपनी	फर्म	ट्रस्ट	सोसायटी	स्वामी	सरकार	जे.वी.	पीपीपी	कोई अन्य (विनिर्दिष्ट करें)

3. क्रियाशील लेनों की संख्या	दुपहिया /तिपहिया	हलके मोटर वाहन	मध्यम और भारी मोटर वाहन
4. भूमि ब्यौरे	1. स्थिति 2. स्वामित्व के ब्यौरे /पट्टा (दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें)		
5. कर्मचारियों की संख्या			
6. वाहन एपीआई आवेदन संख्या और तारीख			

7. वचनबंध

आवेदक निम्नलिखित के लिए वचन देता है, अर्थात्	
क	केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के अनुसार दृश्य और स्वचालित परीक्षण के लिए नियत प्रक्रिया का पालन किया जाता है
ख	किसी भी मौद्रिक लाभ के लिए वाहन निरीक्षण और प्रमाणन से उत्पन्न डाटा का उपयोग नहीं करना
ग	वाहन मेक और प्रकार से संबंधित परीक्षा परिणामों के बारे में जानकारी की सख्त गोपनीयता बनाए रखें
घ	मोटरगाडी के पुर्जों का विक्रय वाहनों का विनिर्माण /मरम्मत /वाहनों का विक्रय या विनिर्माण/ वाहन के पुर्जों का विक्रय शामिल नहीं होना
ड.	हर समय पारदर्शी और पक्षपात रहित तरीके से काम करना और नियम 177 के उपनियम (1), (2) और (3) के उपबंधों का पालन करना ।

(नियम 175 के अनुसार प्रारम्भिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र और सफल प्री कमिशनिंग आडिट और निर्धारण रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता _____
(स्वामी और /या आपरेटर)

तारीख.....

प्ररूप सं. 65

[नियम 180 (5) देखें]

प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/स्वचालित परीक्षण स्टेशन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए आवेदन प्ररूप

सेवा में,
रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी

मेरे /हमारे स्वचालित परीक्षण स्टेशन का प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, प्रमाणपत्र संख्या -----
---निम्नलिखित परिस्थितियों में खो गया है/नष्ट हो गया है/पूर्ण रूप से अपलिखित हो गया है/गंदा हो गया है/फट गया है /विकृत हो गया है:

मैं/हम घोषित करते हैं कि मेरे/हमारी जानकारी से प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अधिनियम के या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन निलंबित या निरस्त नहीं किया गया है और ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियाँ सही हैं।

मैं/हम प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति दिए जाने के लिए आवेदन करते हैं।

मैं/हम घोषित करते हैं, कि मैं/हम (तारीख) ----- को जैसे ही यह ज्ञात हुआ है कि प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र/ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र खो गया है तुरंत पुलिस को शिकायत (प्रति संलग्न) दर्ज कर दी है।

मैं/हम घोषित करते हैं, कि मैं/हम भविष्य में खोया हुआ प्रमाणपत्र मिलने की स्थिति में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को सूचना देंगे और प्रमाणपत्र का अमर्यपण कर देंगे।

नाम -----

तारीख: -----

हस्ताक्षर -----

प्ररूप सं. 66

[नियम 175 (7) देखें]

स्वचालित परीक्षण स्टेशन की लेखा परीक्षा और निर्धारण रिपोर्ट के लिए प्ररूप

(पूर्व-प्रवर्तन)

लेखा परीक्षा और निर्धारण संख्या		लेखा परीक्षा और निर्धारण संख्या	
लेखा परीक्षण एजेंसी और लेखा परीक्षक का नाम		लेखा परीक्षक का हस्ताक्षर	
स्टेशन का नाम		स्टेशन संख्या	

प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या			
पता		संपर्क संख्या	

1. परीक्षण उपस्कर पूर्णता और अंशांकन				
क्र.सं.	उपस्कर	उपलब्ध (हाँ/नहीं)	कार्यात्मक (हाँ/नहीं)	अंशांकन की तारीख
क.	रोलर ब्रेक परीक्षक			
ख.	धुरी भार मापन			
ग.	संस्पेंशन परीक्षक			
घ.	साइड स्लिप परीक्षक			
ङ.	ज्वाइंट प्ले परीक्षक			
च.	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले संसूचन			
छ.	स्वचालित अग्रदीप परीक्षक			
ज.	ओपेसीमीटर			
झ.	निकास गैस विश्लेषक			
र.	चालमापी परीक्षक/गति-नियंत्रक परीक्षक			
ट.	ध्वनि स्तर मीटर			
टिप्पणियां:				

2. नियोजित जन शक्ति के ब्यौरे				
क्र.सं.	पदनाम	नियोजित स्टाफ की संख्या	नियमों की अनुपालना (हाँ/नहीं)	टिप्पणियां
क.	केन्द्र प्रमुख/प्रबंधक			
ख.	आईटी प्रभारी /प्रणाली विश्लेषक			
ग.	डाटा एंट्री आपरेटर			
घ.	चालक (एलएमवी/एचएमवी)			
ङ.	लेन प्रभारी/पर्यवेक्षक			
च.	लेन आपरेटर			
छ.	अनुरक्षण टेक्नीशियन			
टिप्पणियां:				

3. अतिरिक्त जांच			
क्र.सं.	जांच	हां	नहीं
क.	विहित मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार आईटी प्रणाली		
ख.	गुप्त और गूढलेखित परीक्षण परिणाम डाटा		
ग.	स्थापित और कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे		
घ.	परीक्षण डाटा को सुरक्षित सुविधा में रखा गया और उसे वाहन (वीएएचएन) पर अपलोड किया गया		
ङ.	लेन स्क्रीन कोई भी परीक्षण परिणाम प्रदर्शित नहीं करते हैं।		
च.	मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अवसंरचना सुविधाएं		
छ.	केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय लेना		
ज.	अग्नि सुरक्षा समाशोधन		
झ.	यानों की पार्किंग और सुरक्षा के लिए प्रयास उपबंध		
परिणाम (अनुमोदित है/अनुमोदित नहीं है):			
सुधारात्मक कार्यवाहियां अपेक्षित (गैर-अनुमोदन की स्थिति में):			

प्ररूप सं. 67

[नियम 184(7) देखें]

स्वचालित परीक्षण स्टेशन की लेखा परीक्षा और निर्धारण रिपोर्ट के लिए प्ररूप

(प्रचालन दौरान)

लेखा परीक्षा और निर्धारण संख्या		लेखा परीक्षा और निर्धारण संख्या	
लेखा परीक्षण एजेंसी और लेखा परीक्षक का नाम		लेखा परीक्षक का हस्ताक्षर	

स्टेशन का नाम		स्टेशन संख्या	
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की संख्या		प्रचालन घंटे	
पता		संपर्क संख्या	

1. क्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र उपलब्ध है?	हां		नहीं	
2. परीक्षण उपस्कर पूर्णता और अंशांकन।				
क्र.सं.	उपस्कर	उपलब्ध (हाँ/नहीं)	अंशांकन बारंबारता	अंतिम अंशांकन की तारीख
क.	रोलर ब्रेक परीक्षक			

ख.	धुरी भार मापन			
ग.	संस्पेंशन परीक्षक			
घ.	साइड स्लिप परीक्षक			
ङ.	ज्वाइंट प्ले परीक्षक			
च.	स्वचालित स्टीयरिंग गियर प्ले संसूचन			
छ.	स्वचालित अग्रदीप परीक्षक			
ज.	ओपेसीमीटर			
झ.	निकास गैस विश्लेषक			
र	चालमापी परीक्षक/गति-नियंत्रक परीक्षक			
ट.	ध्वनि स्तर मीटर			
टिप्पणियां:				

3. नियोजित जन शक्ति के व्यौरे					
क्र.सं.	पदनाम	नियोजित स्टाफ की संख्या	नियमों की अनुपालना (हाँ/नहीं)	टिप्पणियां	
क.	केन्द्र प्रमुख/प्रबंधक				
ख.	आईटी प्रभारी /प्रणाली विश्लेषक				
ग.	डाटा एंट्री आपरेटर				
घ.	चालक (एलएमवी/एचएमवी)				
ङ.	लेन प्रभारी/पर्यवेक्षक				
च.	लेन आपरेटर				
छ.	अनुरक्षण टेक्नीशियन				
टिप्पणियां:					

4. परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए यानों की नमूना जाँच					
लेन	लेन का प्रकार (दोपहिया/तिपहिया/एलसीवी/एचसीवी)	अनुपालन (हाँ/नहीं)			टिप्पण
		यान-1	यान-2	यान-3	
लेन 1					
लेन 2					
लेन 3					

लेन 4					
टिप्पणियां:					
टिप्पण: जांचे गए नमूना यान की यान संख्या और परीक्षण रिपोर्ट संलग्न की जाएगी।					

5. अतिरिक्त जांच			
क्र.सं.	जांच	हां	नहीं
क.	विहित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार आईटी प्रणाली		
ख.	गुप्त और गूढलेखित परीक्षण परिणाम डाटा		
ग.	स्थापित और कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे		
घ.	परीक्षण डाटा को सुरक्षित सुविधा में रखा गया और उसे वाहन (वीएचएन) पर अपलोड किया गया		
ङ.	लेन स्क्रीन कोई भी परीक्षण परिणाम प्रदर्शित नहीं करते हैं।		
च.	मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अवसंरचना सुविधाएं		
छ.	केवल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से समय लेना		
ज.	अग्नि सुरक्षा समाशोधन		
झ.	यानों की पार्किंग और सुरक्षा के लिए प्रयास उपबंध		
गैर अनुपालन का अवलोकन किया:			
की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाई:			

प्ररूप सं. 68

[नियम 183(1) देखें]

परीक्षण परिणाम के विरुद्ध अपील के लिए आवेदन

1. व्यक्तिगत ब्यौरे

नाम	
पता	
संपर्क नंबर	
ईमेल आई डी	
क्या आप यान के रजिस्ट्रीकृत स्वामी हैं? (हां/नहीं)	

2. यान के ब्यौरे

रजिस्ट्रीकरण संख्या	
चेसिस नंबर	
मेक	
मॉडल	

3. परीक्षण स्टेशन के ब्यौरे

स्टेशन का नाम	
स्टेशन का पता	
परीक्षण की तारीख	
क्या किसी अन्य स्टेशन पर भी यान का परीक्षण किया गया था ? (हां/नहीं) यदि हाँ, तो ब्यौरे दे:	

4. अपील

परीक्षण परिणाम के विरुद्ध अभिवचन के ब्यौर:
क्या उसके पश्चात से यान की मरम्मत, उसमें परिवर्तन या समायोजन किया है? (हां/नहीं) यदि हां, तो ब्यौरा दें :

(कृपया परीक्षण परिणाम की प्रति संलग्न करें)।"।

[स.आरटी-25035/05/2021-आरएस]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 594(अ) तारीख 26 अगस्त, 2021 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2021

G.S.R. 652 (E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number G.S.R. 278 (E), dated the 8th April, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And, whereas, copies of the said Gazette notification were made available to the public on the 8th April, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty first Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from the 25th day of September, 2021.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989(herein after referred to as the said rules), in rule 63, after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely: -

“(6) Notwithstanding anything contained in this rule, the recognition, regulation and control of automated testing station, for the purposes of section 56 of the Act, shall be as per Chapter XI of these rules.”.

3. In the said rules, after Chapter X, the following chapter shall be inserted, namely: -

“CHAPTER XI

RECOGNITION, REGULATION AND CONTROL OF AUTOMATED TESTING STATION

173. Applicability. – The provisions of this chapter shall be applicable for the recognition, regulation and control of automated testing stations, the procedure for fitness testing of vehicles through automated equipment and the procedure for grant of Certificate of Fitness by automated testing stations.

174. Definitions. – (1) In this Chapter, unless the context otherwise requires, -

- (i) “Act” means The Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988);
- (ii) “automated testing station” means any automated testing facility, authorised by the State Government, where vehicle fitness testing may be conducted through automated vehicle testing equipment in accordance with the provisions of this chapter;
- (iii) “certificate of fitness” means the certificate issued by a prescribed authority, referred to in sub-section (1) section 56 of the Act, or by an authorised testing station, in Form 38 for transport vehicles and in Form 25 for non-transport vehicles, as the case maybe, to the effect that the vehicle complies, for the time being, with all the requirements of the Act and the rules made thereunder;
- (iv) “registering authority” means any officer not below the rank of Transport Commissioner nominated by the State Government and empowered to issue Preliminary Registration Certificates, issue and renew Registration Certificates under this chapter for the registration of automated testing stations;
- (v) “Appellate Authority” for the purpose of rule 183, means any officer not below the rank of Regional Transport Officer nominated by the State Government before whom appeal against test result for a vehicle given by an automated testing station can be preferred;
- (vi) “Preliminary Registration Certificate” means the certificate granted by the Registering Authority permitting the applicant to commence setting up or construction or establishment of an automated testing station;
- (vii) “Registration Certificate” means the certificate granted by the Registering Authority permitting any automated testing station to commence operations;
- (viii) “owner” means a person including any individual or company or association or body of individuals or special purpose vehicle or State Government, who is a registered owner of an automated testing station;
- (ix) “net worth” for a financial year means the difference between total assets and total liabilities;
- (x) “operator” means a person including any individual or company or association or body of individuals or special purpose vehicle or State Government, authorised by the Registering Authority of the State Government to undertake the responsibility of managing the affairs and operations of the automated testing station such as hiring of staff, conduct of fitness testing of vehicles, ensuring the integrity of the whole operations, issuance and renewal of certificate of fitness and facilitating the conduct of the audit and assessment in accordance with the provisions of this chapter;
- (xi) “End of Life Vehicle” means any vehicle, -
 - (a) which is no longer validly registered; or
 - (b) of which registration has been cancelled under Chapter IV of the Act; or
 - (c) which has been declared unfit after undergoing test or re-test as specified under the provisions of this

chapter; or

- (d) which is self-declared by the legitimate registered owner as a waste vehicle due to any circumstances that may arise from fire, damage, natural disaster, riots or accidents.

(2) Words and expression used herein and not defined, but defined in the Act shall have the same meanings, as respectively, assigned to them in the said Act.

175. Registration Procedure for Automated Testing Station. – (1) No operator of an automated testing station shall issue or renew a certificate of fitness to any vehicle or commence any operations without having a Registration Certificate, granted to it by the registering authority in Form 62.

(2) In case of a new automated testing station, the application for grant of Registration Certificate shall be preceded by the grant of a Preliminary Registration Certificate for construction or establishment of such station and thereafter, upon setting up or construction or establishment of the automated testing station and its successful pre-commissioning audit and assessment, the applicant can submit an application for grant of Registration Certificate to start operations.

(3) The application for grant of Preliminary Registration Certificate under sub-rule (2) shall be made in Form 63 by the owner or operator to the registering authority and shall be accompanied by the fee as specified in rule 188.

(4) (i) The registering authority, shall, while considering an application for the grant of a Preliminary Registration Certificate, ensure that the applicant satisfies all the requirements as specified in rule 176.

(ii) The registering authority shall while considering an application under this rule, take into consideration the fact that the setting up of the automated testing station shall improve the availability of testing facilities in the area both in relation to the number of vehicles and proximity to such automated testing station.

(5) The registering authority, on receipt of an application under sub-rule (3), and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of sub- rule (4), grant the Preliminary Registration Certificate in Form 61 within thirty days from the date of receipt of such application:

Provided that no application for the grant of a Preliminary Registration Certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing by the Registering Authority.

(6) The applicant, upon the establishment of the automated testing station, shall appoint National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories - accredited agency or any other agency notified by the Central Government for conducting pre- commissioning audit and assessment of the automated testing station.

(7) An application for grant or renewal of a Registration Certificate shall be made in Form 64 to the registering authority and shall be accompanied by, —

- (a) the fee as specified in rule 188;
- (b) security deposit or bank guarantee as specified in rule 188;
- (c) the Preliminary Registration Certificate as referred to in sub-rule (2), wherever applicable;
- (d) successful pre-commissioning audit and assessment report in Form 66.

(8) The registering authority shall, while considering an application for the grant or renewal of a Registration Certificate, ensure that the applicant satisfies all the requirements as provided in rules 176 to 179.

(9) The registering authority may, on receipt of an application under sub-rule (7), and after satisfying himself that the applicant has complied with the requirements of sub- rule (8), grant or renew the Registration Certificate in Form 62 within sixty days from the date of receipt of the application:

Provided that no application for grant of a Registration Certificate shall be refused by the registering authority unless the applicant is given an opportunity of being heard and reasons for such refusal are given in writing by the registering authority.

(10) The Preliminary Registration Certificate, Registration Certificate, all observations made in relation to the application for grant of Preliminary Registration Certificate and Registration Certificate, the objections or reasons due to which the Preliminary Registration Certificate or Registration Certificate is refused, shall be duly uploaded on the electronic portal within three working days of passing any order under sub-rules (5) and (9).

176. Eligibility. – (1) The owner or operator, as the case may be, of an automated testing station shall be the State Government or any company or association or body of individuals or individual or special purpose vehicle either directly or through public- private partnership.

Provided that a vehicle manufacturer or service station or automobile dealer or any person related to repair of vehicle or manufacturing or sale of vehicle or automobile spares shall not become the owner or operator of an automated testing station directly:

Provided further that, where, a vehicle manufacturer or service station or automobile dealer or any person related to repair of vehicle or manufacturing or sale of vehicle or automobile spares intends to become the owner or operator of an automated testing station, it may do so, by forming a subsidiary or joint venture or a special purpose vehicle

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the owner of an automated testing station may also be the operator of such automated testing station.

(3) The owner or operator of an automated testing station shall possess, -

- (i) certificate of Incorporation or Shop Act registration or Udyam Aadhar;
- (ii) valid Goods and Service Tax certificate; and
- (iii) valid Permanent Account Number.

(4) The owner or operator of an automated testing station shall have a minimum net worth of three crore rupees during the last financial year and should have a positive profit after tax in the last two financial years.

(5) The premises where the automated testing station is to be housed shall either be owned or taken on lease or hired by the owner for a period not less than ten years.

177. Conflict of Interest. – (1) There shall be no conflict of interest during the course of operations that may arise or may be perceived due to financial or professional interest of the owner or operator of an automated testing station and their obligations under this chapter.

Explanation -For the purposes of this rule, financial or professional interest means any personal, financial, or other considerations that may have the potential to influence or compromise the professional behavior of the owner or operator of an automated testing station.

(2) The automated testing station shall act as test-only facility and shall not provide any services related to repair of vehicles or manufacturing or sale of vehicles or automobile spares.

(3) Testing officials of the automated testing station shall maintain strict confidentiality of information regarding test results related to vehicle make and type.

(4) The operator of an automated testing station, at all times, shall function in a transparent and impartial manner and shall sign an undertaking related to provisions of sub-rules (1), (2) and (3) as specified in Form 64.

178. Infrastructure requirement. – (1) Any facility to be used for the purposes of testing shall have a minimum per lane area for two-wheeler vehicles or three-wheeler vehicles as five hundred square meters and for Light or Medium or Heavy Motor Vehicle as one thousand five hundred square meters, which includes commensurate space for the administrative block including reception or information centre, waiting area, Information technology server and workstation, washrooms etc.

(2) The automated testing station shall have the minimum dimensions for defining test lane, as per the following table, namely: -

[Table-A]

Sl. No.	Minimum Dimensions of a Test Lane (in meter)	2-Wheeler	3-Wheeler and Light	Medium and Heavy
			Motor Vehicle	Motor Vehicle
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Length	15	32	32
2	Width	5	7	7
3	Minimum length for turning at Entrance	3	10	18
4	Minimum length for turning at exit	3	10	18

(3) The standard operating procedure of the automated testing station shall be displayed in the waiting area for public as well as staff.

(4) Adequate space shall be available for fitment of utilities like transformers, Low Tension or High-Tension panels with safety or protective devices, Gensets, Air Compressor, Uninterrupted Power Source, water coolers, fire protection and firefighting system of adequate capacity and test lane area shall be provided with adequate ventilation and fume extraction system.

(5) An automated testing station shall have adequate space for parking and free movement of vehicles brought for testing and necessary cyber security certifications shall be provided for the Information technology Systems for safe access to the VAHAN database as applicable.

(6) Testing equipment and Information technology infrastructure shall be as per rule 190.

179. Manpower requirement. – (1) The minimum requirement of manpower shall be as per the following table, namely:-

[Table-B]

Sl. No.	Designation	Minimum manpower requirement	Minimum Qualification
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Centre Head/Manager	1	Graduate in Automobile or Mechanical or Electrical or Electronic Engineering with at least ten years of professional experience which includes at least five years of experience in vehicle inspection, manufacturing or repair and shall have thorough knowledge of the Act and the rules made thereunder, especially the chapters relating to registration of motor vehicles and construction, equipment and maintenance of motor vehicles.
2.	Information technology in charge/ System Analyst	1 (up to 2 Lanes) 2 (up to 4 lanes)	Master of Computer Application or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Science or Information technology or Electronics and Communication Engineering with at least three years of experience in Hardware, software and Networking from any recognised organisation or institutions.
3.	Data Entry Operator	2	Any Graduation Degree or Diploma in Computer Application with basic computer knowledge.
4.	Driver (Light Motor Vehicle/Heavy Motor Vehicle)	2 per lane per shift	Driving license with minimum five years of driving experience (Light Motor Vehicle or Heavy Motor Vehicle).
5.	Lane in charge / Supervisor	1 per lane per shift	Industrial Training Institute Diploma in Motor Mechanics or Diploma in Mechanical or automobile or electrical stream with minimum three years of experience in automobile repair and Maintenance from any recognised organisation or institutions.
6.	Lane Operator	2 per lane per shift	Industrial Training Institute Diploma in Motor Mechanics or Electrical or Computer stream with minimum two years of experience in automobile repair and maintenance from any recognised organisation or institutions.
7.	Maintenance Technician	1 per lane per shift	Industrial Training Institute Diploma in Air Conditioning and Refrigeration or Industrial

			Training Institute Electrician or Diploma in Mechanical or Electrical, with minimum two years of experience in electrical Maintenance from any recognised organisation or institutions.
--	--	--	---

(2) The automated testing station shall ensure compliance of all laws for the time being in force, including labour laws as applicable.

180. Validity and renewal of Registration. – (1) A Preliminary Registration Certificate shall be valid for the period of setting up or construction or establishment of the automated testing station, which shall be mutually agreed between the State Government and the owner or operator and specified in the Preliminary Registration Certificate.

(2) A Registration Certificate shall be valid for a period of ten years from the date of issuance and its subsequent renewal shall be valid for five years from the date of renewal, as the case may be.

(3) The Preliminary Registration Certificate and Registration Certificate shall not be transferable.

(4) Where the Preliminary Registration Certificate or Registration Certificate is lost or destroyed, the holder of such certificate shall intimate the facts to the registering authority which has granted or renewed the certificate and shall apply for a duplicate certificate under sub-rule (5) in Form 65 intimating the reasons thereof.

(5) An application for issuance of duplicate Preliminary Registration Certificate or Registration Certificate shall be made in Form 65, along with appropriate fee, as specified in rule 188.

(6) The registering authority may issue a duplicate certificate in Form 61 or Form 62, as the case may be, with clearly marked word "DUPLICATE" on top right corner.

(7) The duplicate certificate shall be immediately surrendered to the registering authority if the original is traced out or found at a future date.

181. Testing Process and Procedure.–

(1) The appointment for fitness test at any automated testing station shall be booked electronically, through the electronic portal, set up by the Central Government within six months from the date of notification of the Central Motor Vehicles (Twenty First Amendment) Rules, 2021, on depositing the fee as specified in rule 81, electronically or such other manner as may be laid down by the Central Government.

(2) Until the electronic portal referred to in sub-rule(I) is developed, the bookings for fitness tests shall be done either manually or through the electronic portal of the State or Union territory Governments.

(3) The following documents and information shall be uploaded at the time of booking a slot for fitness test at an automated testing station, namely: -

- (i) Registration Certificate of Vehicle, along with Form 25, wherever applicable;
- (ii) valid Insurance Certificate;
- (iii) last valid Permit, wherever applicable;
- (iv) mobile number and email ID of the registered owner or authorised signatory.

(4) The other details related to the vehicle, not limited to the following, shall be fetched automatically from the VAHAN database, namely: -

- (i) Chassis Number;
- (ii) Engine number;
- (iii) Fuel;
- (iv) Vehicle Class;
- (v) Vehicle Category;
- (vi) Make and Model;
- (vii) Gross Vehicle Weight (GVW);
- (viii) Month and Year of Manufacture; and
- (ix) Speed Governor Serial Number, wherever applicable.

(5) The list of tests to be conducted along with the reference standards shall be as per rule 189, as applicable from

time to time.

- (6) The data generation, processing and storage shall be done in a manner so as to ensure that, -
- (i) the database is stored in a data management software platform to enable easy exchange and analysis of data with other platforms;
 - (ii) all automated test results shall be automatically transmitted to a central server installed in the automated testing station and visual checks data, including photographs, shall also be transferred on the same server;
 - (iii) the fitness criteria for pass or fail shall be automatic and in accordance with rule 189;
 - (iv) (a) display of testing station in a test lane shall not indicate any test result;
- (b) all test results shall be masked on the test lane with encrypted test data;
- (c) the test report shall be generated automatically and digitally signed with relevant details, immediately after completion of all tests;
- (v) the test data and report generated shall be kept in a safe and secured facility and uploaded on the electronic portal;
 - (vi) photographs of vehicle and its Chassis and Engine number shall be captured by Global Positioning System enabled camera and shall be kept in a secured facility and uploaded on the electronic portal along with the tests data and report.
- (7) The certificate of fitness, if granted, in Form 25 or Form 38, as the case may be, and test report so generated shall be sent to the registered owner or authorised signatory through physical and electronic mode and the test report shall include the following, namely: -
- (i) station Name and registration number;
 - (ii) date and time of the test;
 - (iii) vehicle details – Registration number, Type, Make and Model;
 - (iv) visual check details;
 - (v) measured and permissible values of functional tests;
 - (vi) date of calibration of each equipment of the automated testing station on which tests are conducted;
 - (vii) list of functional tests or visual checks failed by the vehicle, in case certificate of fitness is not granted.
- (8) The results shall also be integrated with VAHAN Database.

182. Re-testing Procedure. – (1) The registered owner of the vehicle that fails any or all of the required test(s), as specified in rule 189, shall be given an opportunity to apply for a re-test within thirty days of such result, after getting the defects specified in the test report of the initial inspection, rectified from a suitable workshop.

(2) The registered owner or authorised signatory of the vehicle may opt for a re-test after depositing fee, as specified in rule 81 and such vehicle shall be re-tested only for the test(s) which it failed in the initial inspection, as specified in the test report.

(3) Subject to rule 183, the vehicle that is not re-tested within the time specified in sub-rule (1) or fails such re-test shall be declared as End of Life Vehicle.

(4) Notwithstanding anything contained in this rule, in the event of an order of the Appellate Authority to conduct a partial or complete re-test under sub-rule (2) of rule 183, the same shall be conducted accordingly.

183. Appeal against test results. – (1) Any person aggrieved by the test result shall, within seven days of the date of receipt of such result, submit an appeal to the Appellate Authority in Form 68, through the electronic portal specified by the Central Government in this regard and such an appeal shall be accompanied by the fee as specified in rule 188 and a copy of the test result.

(2) The Appellate Authority may order a partial or complete re-test of the vehicle, within fifteen working days of receipt of such appeal.

(3) Consequent to the vehicle passing such re-test, the Appellate Authority shall issue a certificate of fitness to such vehicle.

(4) The decision of Appellate Authority shall be final and binding.

184. Audit and Assessment. – (1) The performance and functioning of an automated testing station shall be monitored through periodic audits and Assessment, at such intervals as specified in sub-rule (3).

(2) The registering authority shall appoint National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory accredited agency or any other agency notified by the Central Government for conducting such audits and assessments.

(3) The audit and assessment of an automated testing station shall be conducted every six months and the cost of such audit and assessment shall be borne by the operator of such station.

(4) The audit and assessment of Automated Testing Stations shall cover the following aspects, namely: -

- (i) test equipment completeness;
- (ii) equipment calibration at the required frequency at least once a year or as per manufacturer's recommendation, whichever is earlier;
- (iii) testing procedures as specified under this chapter;
- (iv) calibration process of machinery;
- (v) manpower as per specified qualification under this chapter;
- (vi) sample check of at least three vehicles from each lane;
- (vii) data integrity; and
- (viii) functioning of all the Closed-Circuit Televisions installed in the station.

(5) The registering authority, under exceptional circumstances, which shall be adequately recorded, may also conduct surprise audits and assessments of an automated testing station and the cost of such audit and assessment shall be borne by the operator.

(6) The officials of the automated testing station shall be responsible for enabling and cooperating with the inspection at any point of time during office hours.

(7) The audit and assessment report, including surprise audit and assessment, as specified in Form 67, along with the photographic evidence, shall be uploaded on the electronic portal specified by the Central Government in this regard.

(8) (i) Where any discrepancy pointed out during the audit and assessment, the same shall be rectified by the operator within ten working days from the date of issuance of the audit and assessment report.

(ii) The rectification report shall be submitted through the electronic portal specified by the Central Government in this regard to the audit and assessment agency for approval and registering authority for information.

(iii) The Audit and Assessment agency, if it so desires, may undertake re-audit and re-assessment for validation and approval.

185. Power of registering authority to suspend or cancel the Registration Certificate or forfeit security deposit. – After giving the holder of a Registration Certificate an opportunity of being heard, if the registering authority is satisfied that he has, -

- (i) failed to comply with the requirements as laid down in rules 176 to 179; or
- (ii) failed to observe correct standards of testing, as noticed at the time of audit and assessment; or
- (iii) failed to conduct timely audit and assessment; or
- (iv) Involved in any malpractice, it may, by order in writing to, –
 - (a) suspend the Registration Certificate for a specified period; or
 - (b) cancel the Registration Certificate and order forfeiture of the security deposit and bank guarantee furnished by the automated testing station.

186. Appeal. – Any person aggrieved by an order of the registering authority under sub- rule (9) of rule 175 or rule 185, may, within thirty days of the receipt of the order, appeal to any officer above the rank of registering authority, as appointed by the State or Union territory Government.

187. Procedure for appeal. – (1) An appeal under rule 186 shall be submitted in the form of a memorandum, setting forth the grounds of objections to the order of the registering authority.

(2) The appeal shall be submitted along with the requisite fee as specified in rule 188.

(3) The officer referred to in rule 186, after giving an opportunity to the parties to be heard and after such enquiry as he may deem necessary, pass reasoned orders within a period of forty-five days from the date of receipt of such an appeal.

188. Fees. - The fees charged under the provisions of this Chapter shall be as specified in the following table, namely: -

[Table-C]

Serial No.	Purpose	Amount	Rule
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Grant of Preliminary Registration Certificate for establishment of automated testing station	Ten Thousand rupees	175(3)
2.	Grant or renewal of Registration Certificate for automated testing station	Fifty Thousand rupees	175(7)
3.	Security Deposit / bank guarantee for Registration Certificate for automated testing station	Five lakh rupees	175(7)
4.	Issue of duplicate Preliminary Registration Certificate for automated testing station	Five Thousand rupees	180(5)
5.	Issue of duplicate Registration Certificate for automated testing station	Twenty-Five Thousand rupees	180(5)
6.	Appeal against test result(s) of automated testing station	Two Thousand rupees	183(2)
7.	Appeal under rule 187	Thirty Thousand rupees	187(2)

189. Tests to Be Conducted at Automated Testing Station. - (1) The grant and renewal of certificate of fitness to the vehicles as per characteristics given in table-H in sub-rule (7) of rule 190 shall be made at an automated testing station only after carrying out the following checks and tests as specified in the table-D given below: -

[Table-D]

Sl. No.	Item	Automated Test (Yes/No)	Check Fitment	Visual Check/ Functional Test	Reference Rules / Standards for more details [#]	Notes for information
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	Headlamp dipped Beam	Yes	No	Functional	AIS-128	Functional test requirements: Horizontal cut off of passing beam shall always be below headlamp centreline and the deviation shall be within 0.5% to 2.5%.
(2)	Headlamps Assembly	No	Yes	Visual	rule 105 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009	Visual inspection parameters: (i) Bulb should be working; (ii) Head lamp operating switch

					(Rev.1)	working; (iii) No broken lens; (iv) Lens of the lamp should not be painted with colour OR pasted with sticker.
(3)	Lights					
	(a) Top Lights	No	Yes	Visual	rule 107, 108 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) For the lamps with dual coloured lens, Red lens shall be oriented towards Rear and white shall be towards front; (vi) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (vii) Secured fitment of the Lamps.
	(b) Stop Lights	No	Yes	Visual	rule 102 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working on actuation of the brake; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the Lamps
	(c) Parking Lights	No	Yes	Visual	rule 109 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Colored lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working;

						(iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the Lamps
(d) Fog Lamps (if fitted)	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.	
(e) Warning Lights in Ambulance	No	Yes	Visual	rule 108 and AIS-125 (Part 1)	Visual inspection parameters: (i) Coloured lens shall not be faded; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamp shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the Lamps.	
(f) Number Plate Light	No	Yes	Visual	rule 108 and AIS-008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS-009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) White light shall be used for illuminating number plate; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamps shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured	

						fitment of the lamps.
	(g) End- Outline Marker Lamps	No	Yes	Visual	AIS-008 or AIS-008 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Ensure secured fitment of end-outline marker lamps; (ii) Coloured lens shall not be faded; (iii) Lens should not be broken; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Red coloured lens shall face towards Rear and White lens to the Front.
	(h) Direction Indicators	No	Yes	Visual	rule 102 and AIS:008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 or AIS- 009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Flashing light emitted shall be Amber in colour; (ii) Lens should not be broken; (iii) Lamps shall be working; (iv) No moisture deposition on the inside surface of the lens; (v) Secured fitment of the lamps.
	(i) Hazard Warning Signal lamp	No	Yes	Visual	AIS:008 or AIS-008 (Rev.1) and AIS- 009 (Rev.1)	Visual inspection parameters: (i) Flashing light emitted shall be Amber in colour; (ii) Ensure simultaneous operation of all direction indicator lamps by use of switch.
(4)	Suppressor cap/ High Tension cable	No	Yes	Visual	-	Visual inspection parameters: (A) Suppressor Cap: (i) Suppressor cap shall

						<p>be in good condition</p> <p>(B) High Tension Cable:</p> <p>(i) High Tension cable shall be properly insulate;</p> <p>(ii) Proper terminal connections shall be made on both sides of High-Tension cable.</p>
(5)	Rear View Mirrors	No	Yes	Visual	<p>rule 125(2) and AIS-002 (Part-1) & (Part-2) (Rev. 1)</p>	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>Ensure fitment of required class of the mirror as per AIS 002 (Part-1) / (Part-2) (Rev-1);</p> <p>Symbol I / II / III /IV / V / VI / VII</p> <p>specifying the class to which the type of mirror belongs shall be ensured on the mirror marking;</p> <p>Secured fitment of mirrors in good condition.</p>
(6)	Safety Glass (Windscreen)	No	Yes	Visual	<p>(a) rule 100 and IS:2553 (Part 2)</p> <p>(b) Bureau of Indian Standards license marking for the vehicles registered from 1st April, 2021.</p>	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>(i) Except the glass area covered by stickers such as FasTag / Permits / Badges, the windscreen glass shall be transparent;</p> <p>(ii) the laminated safety glass for windscreen application shall bear clear and indelible 'LW' or 'II' or IV or</p> <p>II/P marking in addition to the trademark or manufacturer' s logo as specified in IS:2553 (Part 2);</p> <p>(iii) Glass shall not be damaged / cracked; Coloured films shall not</p>

						be pasted on the glass.
(7)	Horn	No	Yes	Visual and Functional	IS-1884, rule 119 and IS- 15796	(1) Visual inspection parameters: (i) Multi-toned horn giving a succession of different notes or with any other sound producing device giving an unduly harsh, shrill, loud or alarming noise shall not be used; (ii) Horn shall be securely fitted; (iii) Horn shall be functioning; (2) Functional test requirements: Sound pressure level of the horn installed on the vehicle shall be as per IS: 15796.
(8)	Silencer	No	Yes	Visual	rule 120 and IS 10399:1998	Visual inspection parameters: (i) Ensure no leakage; (ii) Secured fitment of silencer; (iii) Silencer shall not be excessively rusty or damaged; Functional test requirements: Stationary noise test as per IS 10399:1998
(9)	Windscreen Wiper					
	(a) Windscreen Wiper Blades	No	Yes	Visual	rule 101, AIS-045, IS: 15804 and IS: 15802	Visual inspection parameters: (i) Ensure presence of wiper blades; (ii) Wiper blade shall be in good condition.
	(b) Windscreen Wiper System	No	Yes	Functional	rule 101, AIS-045, IS: 15804 and IS: 15802	Visual inspection parameter: (i) Ensure operation of each wiper arm(s) to cover maximum area of the windscreen; (ii) In split type

						windscreen for vehicles other than three-wheelers, wiper shall be operable for each windscreen; Wiper shall be securely fitted
(10)	Dashboard Equipment	No	Yes	Visual	AIS-071 (Part 1)	Visual inspection parameters: (i) Ensure secured mounting; (ii) Wiring shall be insulated; (iii) Dashboard illumination shall be functioning; (iv) Warning lights for ABS, Electrical, brake system, alert, battery, OBD or engine malfunction, Engine coolant temperature shall not remain illuminated.
(11)	Exhaust					
	(a) Exhaust gas Emission (applicable for Petrol/CNG/LP G driven vehicles)	Yes	No	Functional	rule 115 (2) (i)	Functional test requirements: Petrol/CNG/L PG vehicles shall comply with the idling emission standards specified in "TABLE and TABLE A" of rule 115 (2) (i).
	(b) Smoke Density (Free Acceleration test applicable for Diesel vehicles)	Yes	No	Functional	rule 115 (2) (ii)	Functional test requirements: Smoke density limits for diesel driven vehicles shall be as per "TABLE" mentioned in rule 115 (2) (ii).
(12)	Braking System	Yes	Yes	Visual and Functional	AIS-128	(I) Visual inspection parameters: (i) Fittings shall be secured; (ii) Brake hoses shall not be damaged or cracked; (iii) No leakage of brake fluid. (II) Functional test requirements: Braking

						efficiency measured on roller brake tester should be at least 27.23%.
(13)	Steering Gear	Yes	Yes	Functional	rule 98	Functional test requirements: Back-lash / Free play in steering gear shall not be more than 30 degrees.
(14)	Side Slip Test (This test applies to all categories of vehicles except 3-wheelers)	No	No	Functional	As per specification	
(15)	Suspension Test (Applicable for vehicles having GVW upto 3.5 ton excluding 3-wheelers)	No	No	Functional	-	Functional test requirements: No significant difference between suspension system efficiency of left and right side of vehicle.
(16)	Joint Play Test	No	Yes	Visual and Functional	-	Visual inspection parameters: (A) Suspension system: (i) Ensure secured attachment of springs and shock absorbers to chassis or axle; (ii) Springs shall not be damaged or fractured; (iii) Shock absorber dampers shall not have any oil leakage; (iv) Excessive wear shall not happen in swivel pin or bushes or at suspension joints; (v) In case of Air suspension, ensure no audible system leakage (B) Axle: (i) Secured fixing to the vehicle;

						<p>(ii) Axle shall not be fractured or deformed;</p> <p>(iii) Excessive wear shall not happen in the swivel pin or Bushes.</p>
(17)	Speedometer					
	(a) Speedometer	No	Yes	Visual	rule 117 and IS-11827-2008	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>(i) Securely fitted;</p> <p>(ii) Sufficiently illuminated;</p> <p>(iii) Dial cover shall not be broken;</p> <p>(iv) Indicator needle operational.</p>
	(b)Speedometer Test (For E-rickshaw or E-cart)	No	No	Functional	As per specification	<p>The vehicle shall be driven in unladen condition (with full charge and at full accelerator position) on straight or flat road and when the vehicle attains full speed, the maximum speed shall be calculated by measuring time taken to travel fixed distance (viz 50 metres).</p>
(18)	Rear under run protection device (RUPD) for N2, N3, T3 and T4	No	Yes	Visual	rule 124 (1A) and IS-14812-2005	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>Rear Underride Protection Device shall be fitted;</p> <p>(i) Rear Underride Protection Device shall not be cracked, corroded or damaged;</p> <p>(ii) Ensure that ground clearance and dimensions of Rear Underride Protection Device shall be as per IS-14812-2005.</p>
(19)	Lateral under run protection device (LUPD) for N2, N3, T3 and T4	No	Yes	Visual	rule 124 (1A) and IS-14682-2004	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>(i) Lateral under run protection device shall be fitted</p> <p>(ii) Lateral under run protection device shall</p>

						not be cracked, corroded or damaged (iii) Ensure that dimensions of Lateral under run protection device shall be as per IS-14682-2004.
(20)	FASTag	No	Yes	Visual	rule 138 (A)	Visual inspection parameters: (i) To be affixed on the front windscreen; (ii) FASTag shall be not damaged.
(21)	Priority Seats, Signs, securing of crutches/ canes/walker, hand rail/stanchions , controls at priority seats for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS- 153	Visual inspection parameters: (i) Buses fitted with a priority seat shall have pictogram(s) visible from the outside, both on the front nearside of the bus and adjacent to the relevant service door(s); (ii) A pictogram shall be placed internally adjacent to the priority seat; (iii) All Type I buses shall have at least two passenger seats in case of Mini and Midi buses and four passenger seats in case of other buses designated as priority seats for persons with disabilities; (iv) Priority seats shall be only of the forward-facing type and preferably be located behind the driver's seat; (v) The priority seats shall be provided with appropriate facility for securing the crutches, canes, walkers etc. to facilitate convenient travel for persons with disabilities; (vi) Handrails or stanchions shall be provided at the entrance

						<p>of all Type I buses;</p> <p>(vii) All Type I NDX buses shall be provided with controls adjacent to priority seats for requesting stops and which alert the driver that a mobility aid user wishes to disembark;</p> <p>(viii) Communication devices shall be placed adjacent to any priority seat.</p>
(22)	Wheel chair entry/housing/locking arrangement for wheel chair for differently abled passengers and passengers with reduced mobility	No	Yes	Visual	sub-rules (1) and (7) of rule 125C, AIS-052 (Rev. 1) and AIS- 153	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>(i) Buses fitted with a wheelchair space shall have pictogram(s) visible from the outside, both on the front nearside of the bus and adjacent to the relevant service door(s);</p> <p>(ii) One of the pictograms shall be placed Internally adjacent to each wheelchair space indicating whether the wheelchair is to be positioned facing the front or the rear of the bus;</p> <p>(iii) Wheelchair space shall be provided with a restraint system capable of restraining the wheelchair and the wheelchair user;</p> <p>(iv) Ensure sufficient space available for the Wheelchair user to maneuver without the assistance of a person;</p> <p>(v) Vehicles of Type I shall have identified area to accommodate at least one wheelchair user;</p> <p>(vi) Communication devices shall be placed within identified wheelchair area.</p>

(23)	Vehicle Location Tracking (VLT) Device	No	Yes	Visual	AIS-140	Visual inspection parameters: (i) Vehicle Location Tracking shall be installed; (ii) Emergency alarm button shall be working.
(24)	High Security Registration Plate (HSRP)	No	Yes	Visual	rule 50 and AIS-159	Visual inspection parameters: (i) High Security Registration Plates installed at the front & rear of the vehicle; (ii) Securely Fixed.
(25)	Battery	No	Yes	Visual	-	Visual inspection parameters: (i) Secured mounting; (ii) Ensure no leakage; (iii) Ensure top is clean, dry, free of dirt and grime.
(26)	Safety belt (Seatbelt)	No	Yes	Visual	rule 125(1-A) and AIS- 015 or IS 15140:2003	Visual inspection parameters: Mandatory safety belts shall be available and securely fitted; (i) Safety belts shall not be damaged; (ii) Safety belt anchorage shall not be loose; (iii) Seatbelt reminder system, if available, should be functioning
(27)	Speed Governor	No	Yes	Visual and Functional	rule:118 and AIS-018	(I) Visual inspection parameters: (i) Securely fitted; (ii) Speed governor shall be sealed; (iii) Electrical wirings of speed governor shall not be disconnected; Functional test

						<p>requirements:</p> <p>(i) 80 km/hr for every transport motor vehicle of category M and N manufactured on or after 1st Oct, 2015;</p> <p>(ii) For transport vehicles manufactured on or after 1st October, 2015 that are dumpers, tankers, school buses, those carrying hazardous goods or any other category of vehicles, as may be specified by the Central Government by notification, the maximum speed limit is 60 km/hr or any other speed as specified by the State Government.</p>
(28)	Spray Suppression Devices	No	Yes	Visual	AIS-013 (Rev. 1)	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>Ensure presence of securely fitted spray suppression Devices.</p>
(29)	Tyres	No	Yes	Visual	rule 94 and 95	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>(i) Tyres shall not have any serious damage (patched or repaired by an outside gaiter patch other than a vulcanized repair) or cut;</p> <p>(ii) The Non- Skid Depth (NSD), shall not be less than 0.8 mm in the case of three wheelers, quadricycle, E-rickshaw and E-Cart and 1.6 mm in the case of other motor vehicles, below the Tread Wear Indicator (TWI) embedded in tyres at the time of manufacture;</p> <p>(iii) Tyres shall be properly inflated;</p> <p>(iv) Tyres shall not show signs of incipient failure by local deformation or swelling;</p>

						<p>(v) Tyre casing fabric shall not be exposed due to wear of the tread or by any unvulcanised cut or abrasion in any of its parts;</p> <p>(vi) Temporary spare wheel or Tyre puncture repair kit shall be available.</p>
(30)	Retro- Reflector and reflective tapes	No	Yes	Visual	rule: 104, AIS-090 and AIS- 037, AIS- 057 and AIS-057 (Rev.1)	<p>Visual inspection parameters: (A) Reflectors</p> <p>(i) Ensure presence of clean reflectors;</p> <p>(ii) Secured fitment of reflectors;</p> <p>(iii) Reflectors shall not be in damaged condition;</p> <p>(iv) Ensure that colour of reflectors shall be as per rule 104 i.e., red colour to the rear or white to the front.</p> <p>(B) Reflective Tapes –</p> <p>(i) Ensure presence of clean reflective tapes;</p> <p>(ii) Securely pasted to vehicle body;</p> <p>(iii) Ensure that size, colour and location of reflective tapes shall be as per rule 104;</p> <p>(iv) Reflective tapes shall not be damaged;</p> <p>(v) The marks shall be visible, clearly legible on the outside of the marking material and shall be indelible.</p>
Additional Tests to be conducted on Electric Vehicles						
(31)	Protection against electric shock (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC	Yes	No	Visual and Functional	AIS-038 (Rev.1)	<p>(1) Visual inspection parameters:</p> <p>(i) Ensure access probe shall not touch</p>

	or 30 V AC					<p>live parts;</p> <p>(ii) In the case of the test for IPXXB in the areas other than passenger compartment or luggage compartment, the jointed test finger may penetrate to its 80 mm length, but the stop face (diameter 50 mm x 20 mm) shall not pass through the opening;</p> <p>(iii) In case of the tests for IPXXD inside the passenger compartment or luggage compartment, the access probe may penetrate to its full length, but the stop face shall not fully penetrate through the opening.</p> <p>(2) Functional test requirements:</p> <p>(i) When the requirements of IPXXB and IPXXD are verified by a signal circuit between the probe and live parts, ensure that the lamp shall not light</p>
(32)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	Yes	No	Functional	AIS-038 (Rev.1)	<p>Functional test requirements:</p> <p>Insulation resistance measured should be greater than 500Ω/V.</p>
(33)	State of Charge (SOC) Indicator on Dashboard AIS-038 (Rev.1)	No	Yes	Visual	AIS-038 (Rev.1)	<p>Visual inspection parameters:</p> <p>Manufacturer supplied SOC indicator shall be in working condition to see charging status of Battery.</p>
Tests to be conducted on Two Wheelers						
(34)	Headlight	Yes	Yes	Functional and Visual	AIS-009 (Rev.1): 2011, Clause no. 6.2.5.2	<p>The vertical inclination of the passing beam headlamp shall remain between - 0.5% and - 2.5%, except in the case where an external adjusting device is</p>

						present.
(35)	Exhaust Gas Analyser	Yes	No	Functional	rule 115 (2) (i)	
(36)	Roller Brake Tester	No	Yes	Functional		
Additional tests to be conducted on Two-Wheeler Electric Vehicles						
(37)	Protection against Electric Shock (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60 V DC or 30 V AC	Yes	No	Visual and Functional	AIS-038 (Rev.1)	
(38)	Insulation Resistance Measurement Test (For Electric vehicles only) If system voltage is > 60V DC or 30V AC	Yes	No	Functional	AIS-038 (Rev.1)	

Reference and Standards quoted against each item are indicative that the provisions exist in Central Motor Vehicles Rules, 1989 and concerned AIS / IS, except serial numbers 14, 15 and 16 as per table-D, which is to inform the registered owner or authorised representative about the health of the vehicle.

Explanation. – For the removal of doubts it is hereby clarified that the items viz., FASTag, Vehicle Location Tracking (VLT) Device, High Security Registration Plate (HSRP), Safety Belt (Seatbelt), Battery, Speedometers, Speed Governor etc., which cannot be tested through the automated testing equipments as per column (3) of the table above, shall be tested in accordance with the applicable provisions of these rules.

(2) Visual checks (Interior and exterior vehicle checks) to be carried out before moving the vehicle to the test lane.

(3) The test lanes at an automated testing station may be segregated into three stations, to balance activities and following tests may be conducted at each station as per the table-E given below : -

[Table-E]

Station-1	Station-2	Station-3
<ul style="list-style-type: none"> ● RFID Authentication of Operator ● Emission Test ● Horn Test ● Exhaust Noise Test ● Speedometer Test ● Speed Governor Test 	<ul style="list-style-type: none"> ● RFID Authentication of Operator ● Side Slip Test ● Front & Rear Suspension Test ● Service Brake & Parking Brake Test 	<ul style="list-style-type: none"> ● RFID Authentication of Operator ● Under Body Visual Inspection using Axle play detector ● Steering Angle test ● Head Light Test

The operator may choose a different combination of tests (as mentioned in above table) to be conducted at each station in a lane, depending on layout of lanes and throughput.

(4) All stations shall have the capability of accepting login and password, reading Radio Frequency Identification, smartcard or any equivalent device and the tests shall be operated remotely so as to minimise any manual intervention.

(5) All Visual checks conducted on a vehicle in an Automated Testing Station shall be photographed using a

mobile device and the record of the same shall be preserved for at least six months for audit and assessment purposes.

190. Equipment Specification for Automated Testing Station. - (1) The equipment used at an automated testing station shall be capable of measuring maximum safe axle weight as notified under section 58 of the Act.

- (2) The equipment shall be able to test all categories of vehicle under fitness regime.
- (3) The software of the equipment shall allow modification in the inspection system as required by the registering authority.
- (4) All equipment shall be able to operate in the following environmental conditions, namely: -
- (i) temperature range 0°C to 55°C;
 - (ii) humidity up to 95%;
 - (iii) dust: Typical Indian testing condition.
- (5) The equipment used at an automated testing station shall comply with the following specifications as given in the Table-F below: -

[Table-F]

Sl. No.	Equipment	Technical Specification	
		Light Commercial Vehicles	Medium and Heavy Commercial Vehicles
1	Roller brake tester	<p>(a) Maximum measurable brake load is at least of 6kN</p> <p>(b) Difference in left and right braking efficiency</p> <p>(c) Brake load resolution $\leq 100N$</p> <p>(d) Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in clause (7) of this rule</p> <p>(e) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle</p> <p>(f) Approximate Testing speed: 5 km/h ± 1 km/h</p> <p>(g) Roller surface</p> <p>(h) Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents need to be provided).</p> <p>(i) Service life: Minimum 25000 hrs</p> <p>(j) Measurement accuracy - $\pm 1\%$ of the measured value</p> <p>For testing the 3- wheelers, one additional roller for the front wheel to be provided in Light Commercial Vehicle Lane and It should be so positioned that the front wheel tests can be done properly.</p>	<p>(a) Maximum measurable brake load is at least of 40 kN.</p> <p>(b) Difference in left and right braking efficiency</p> <p>(c) Brake load resolution $\leq 100N$</p> <p>(d) Suitable roller diameter, length and separation as per the Matrix given in clause (7) of this rule</p> <p>(e) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle</p> <p>(f) Approximate Testing speed: minimum 2.5 km/h</p> <p>(g) Roller surface</p> <p>(h) Minimum frictional coefficient 0.6 (Supporting documents need to be provided).</p> <p>(i) Service life: Minimum 25000 hrs</p> <p>(j) Measurement accuracy - $\pm 1\%$ of the measured value</p>
2	Axle Weight Measurement	<p>(a) Weighing scale for measurement of each axle weight is required. The system should determine this by adding together the axle weight, tare weight/ Kerb weight of the vehicle.</p> <p>(b) Measuring Range: 0 - 3000 kg</p> <p>(c) Resolution 5kg</p>	<p>(a) Weighing scale for measurement of each axle weight is required. The system should determine this by adding together axle weight, tare weight/ Kerb weight of the vehicle.</p> <p>(b) Measuring range: 0 kg - 15000 kg</p> <p>(c) Resolution: 5 kg</p>

		(d) Accuracy $\pm 1\%$	(d) Accuracy $\pm 1\%$
3	Suspension tester	(a) Amplitude of excitation: 6.5 mm \pm 5 mm (b) Measurement accuracy - $\pm 1\%$ of wheel load	(a) Amplitude of excitation: 6.5 mm \pm 5 mm (b) Measurement accuracy - $\pm 1\%$ of wheel load
4	Side slip tester	(a) Suitable dimension of track plate length, weight and height (b) Measuring range: ± 20 m/km (c) Measuring resolution: 1 m/km (d) Accuracy shall be ± 1.0 m/km	(a) Suitable dimension of track plate length, weight and height (b) Measuring range: ± 20 m/km (c) Measuring resolution: 1 m/km Accuracy shall be ± 1.0 m/km
5	Joint Play tester	(a) Maximum Force per plate is at least of 6 kN (b) Maximum movement on each side: 50 - 80 mm (Hydraulic)	(a) Maximum Force per plate is at least of 40 kN (b) Maximum movement on each side: 100 mm (Hydraulic)
6	Automatic Steering Gear Play Detector	(a) Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^\circ$ (b) Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement (c) Measurement accuracy - $\pm 2\%$ of full-scale deflection	(a) Capable of measuring angular movement up to $\pm 30^\circ$ (b) Recording mechanism to measure wheel movement against steering movement (c) Measurement accuracy - $\pm 2\%$ of full-scale deflection
7	Fully Automatic Head light tester	(a) Light Intensity range measure (min): 0-100,000 cd (b) Illumination Intensity range measure: 0-200 lux (c) Headlight tester must have autofocusing ability and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level (d) Vertical and horizontal measuring range: ± 50 cm/10 m ($\pm 5\%$) (e) Intensity maximum deviation: $\pm 5\%$ of reading. (f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails.	(a) Light Intensity range measure: 0-100,000 cd (b) Illumination Intensity range measure: 0-200 lux (c) Headlight tester must have autofocusing ability and should be capable of measuring headlamp with their Centres 500 mm to 1200 mm above ground level. (d) Vertical and horizontal measuring range: ± 500 mm/10 m ($\pm 5\%$). (e) Intensity maximum deviation: $\pm 5\%$. (f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails.
8	Opacimeter	(a) Equipment to meet specifications as per MoRTH / Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115 / 116 or AIS 137 (part 8)	(a) Equipment to meet specifications as per MoRTH / Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115 / 116 or AIS 137 (part 8)
9	Exhaust gas analyzer	(a) The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115/116 or AIS 137 (b) Threshold limits as per relevant	(a) The equipment should measure gas emissions of gasoline, CNG, LPG as per Central Motor Vehicles Rules,1989 / TAP 115/116 or AIS 137 (b) Threshold limits as per relevant

		<p>provisions in rule 115</p> <p>(c) Measuring resolution to be as follows:</p> <p>(i). CO: 0.01%</p> <p>(ii). CO₂: 0.1%</p> <p>(iii). HC: 1 ppm</p> <p>(iv). O₂: 0.02% for measured values <= 4% values & 0.1% for measured values >= 4%</p> <p>(v). Lambda: 0.001</p> <p>RPM counter: 10 rpm</p> <p>(d) The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be ± 20 rpm or ± 2 % of the reading, whichever is greater.</p> <p>(e) Probe to be mechanically clamped to the tail pipe for suitable analysis of exhaust gas.</p> <p>(ii) Ambient air quality should not be disturbed due to exhaust gas emissions. Suitable mechanism to be incorporated for extraction of exhaust gas from the shed</p>	<p>provisions in rule 115</p> <p>(c) Measuring resolution to be as follows:</p> <p>(i). CO: 0.01%</p> <p>(ii). CO₂: 0.1%</p> <p>(iii). HC: 1 ppm</p> <p>(iv). O₂: 0.02% for measured values <= 4% values & 0.1% for measured values >= 4%</p> <p>(v). Lambda: 0.001</p> <p>RPM counter: 10 rpm</p> <p>(d) The maximum deviation allowed in the rpm counter shall be ± 20 rpm or ± 2 % of the reading, whichever is greater</p> <p>(e) Probe to be mechanically clamped to the tail pipe for suitable analysis of exhaust gas.</p> <p>(ii) Ambient air quality should not be disturbed due to exhaust gas emissions. Suitable mechanism to be incorporated for extraction of exhaust gas from the shed.</p>
10	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester	<p>(a) Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this rule</p> <p>(b) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle</p> <p>(c) Measuring range: 20 – 160 km/h</p> <p>(d) Resolution: 1 km/h</p> <p>(e) Accuracy ± 1 % of full scale</p> <p>(f) Separate speedometer to be provided for 3-wheeler</p>	<p>(a) Suitable dimension of track weight, roller diameter and axle separation, as per the Matrix given in clause (7) of this rule</p> <p>(b) Provision for lifting and braking of roller for easy exit of vehicle</p> <p>(c) Measuring range: 25 – 100 km/h</p> <p>(d) Resolution: 1 km/h</p> <p>(e) Accuracy ± 1 % of Full scale</p>
11	Sound level meter	<p>(a) Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1</p> <p>(b) Measuring level: ≥ 30dB to ≤ 120dB</p> <p>(c) Frequency A & C</p> <p>(d) Accuracy - ± 1.5 dB</p> <p>(e) Tripod stand mounted</p> <p>(f) Build battery for power source of charging from outlet of 220V AC and USB</p>	<p>(a) Recommended as per IEC 60651/ IEC 61672-1</p> <p>(b) Measuring level: ≥ 30dB to ≤ 120dB</p> <p>(c) Frequency A & C</p> <p>(d) Accuracy: ± 1.5 dB</p> <p>(e) Tripod stand mounted</p> <p>(f) Build battery for power source of charging from outlet of 220V AC and USB</p>

		The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.	The location of the Sound Level Meter to be clearly marked on the test station.
Technical Specifications for Two Wheelers			
12	Roller brake tester	Parameter	Technical specifications
		(a) Maximum load charge per wheel	1 T
		(b) Maximum measurable brake load	3 kN
		(c) Minimum Roller Diameter	200 mm
		(d) Minimum Roller Separation	380 mm
		(e) Minimum Roller Length	350 mm
		(f) Minimum Wheelbase	800 mm
		(g) Maximum Wheelbase	1500 mm
		(h) Roller Surface – Minimum frictional coefficient	0.6
		Roller Surface Service life	Min. 50000 hrs.
		Brake load resolution	<=100N
		Brake load accuracy	± 100 N of measured value
		Approximate testing speed	5 km/h
13	Headlight tester	Parameter	Technical specifications
		(a) Light Intensity range measure (min)	0 - 100000 cd
		(b) Illumination Intensity range measure	0-200 lux
		(c) Headlight tester capable of measuring headlamp with their Centre above ground level	240 mm to 1500 mm
		(d) Vertical and horizontal measuring Range	± 50 cm/10 m (±5 %)
		(e) Maximum deviation of intensity	± 5 % of reading
		(f) Headlamp tester to be placed on a perfectly level surface/ rails	

(6) The minimum Information Technology hardware requirement for an Automated Testing Station shall be as per the following table, namely: -

[Table- G]

Sl. No.	Equipment	Specification
1	Server specifications	(a) Processor Type: Intel Xenon Scalable Processor V2 or better (b) Processor: Minimum of 12 cores/Processor or better (c) Memory: 64GB DDR3 or higher

		<p>(d) Power supply: 650W Redundant power supply</p> <p>(e) Internal Storage: Enterprise SSD 7 TB or better</p> <p>(f) Hot swap or better</p>
2	Desktop specifications	<p>(a) Intel® 10th Generation Core™ i7 Processors or better</p> <p>(b) 3.0 GHz base frequency, or better</p> <p>(c) 1 TB SSD / NVMe drive</p> <p>(d) 8 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM or better</p>
3	Printer specifications	<p>(a) Laser and duplex printer (Black and Colour)</p> <p>(b) PPM- 30 or better</p> <p>(c) Page size supported-A4, B5, A5, Legal, Letter, Statement, Executive, Government Letter, Government Legal, Foolscap, Indian Legal Custom (Minimum 76.2 x 210mm to Maximum 216 x 356mm)</p> <p>(d) Print resolution - 600 x 600dpi or better</p>
4	Number Plate Reader Camera	<p>(a) Frames per second: 50</p> <p>(b) Megapixel: 2.0 or higher</p> <p>(c) On VIF Protocol</p> <p>(d) IP67</p>
5	Speed dome Camera	<p>(a) Image sensor 1/3” Progressive Scan CMOS</p> <p>(b) 20X optical or better / digital zoom camera</p> <p>(c) 30x motorized zoom lens and auto focus</p> <p>(d) Megapixel: 2.0 or higher</p> <p>(e) IP67</p> <p>(f) IK10</p>
6	Network Video Recorder	<p>(a) Multiplex recording schedule options: manual, alarm, motion detection, timing</p> <p>(b) Multiplex operation: live view, record, play back, backup and remotely control the system simultaneously</p> <p>(c) HDMI and VGA output simultaneously at up to 1080P resolution</p> <p>(d) H.265 High profile decoding, 2 SATA HDD interface: maximum 8TB storage capacity or more.</p>
7	Other equipment required	<p>a) Smart TV with CCTV viewer</p> <p>b) LCDs/LEDs for carrying out the tests</p>

(7) Characteristics of vehicles to be tested shall be as per following table, namely: -

[Table-H]

Sl. No.	Details	3-Wheeler		Quadricycle		4-Wheeler (M1, N1)		4-Wheeler LCV (M2, N2)		HCV (M3, N3)			
		Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Trucks (N3)		Bus (M3)	
										Min	Max	Min	Max
1.	Front Axle wt (kg)	90	260	215	215	420	1285	1045	4150	1235	8951	360	6160
2.	Rear Axle wt kg	205	780	308	308	315	1395	810	7840	810	10224	1360	8900
3.	Kerb wt kg	203	800	474	474	730	2625	1210	5440	2045	19175	2660	15000
4.	GVW kg	610	2150	823	823	935	3490	1960	11990	12990	47500	5000	22000
5.	Wheelbase mm	1590	3070	1925	1925	2050	3264	2100	4500	2500	6750	2654	8350
6.	Wheel Track mm Front	-	-	1143	1143	1300	1690	1310	2022	1410	2124	1630	2054
7.	Wheel Track mm Rear	1150	1540	1143	1143	1315	1705	1343	1814	1406	1926	1486	1880
8.	Length mm	2080	2510	2752	2752	1402	5226	3790	7965	4634	11994	5125	15000
9.	Width mm	1100	1520	1312	1312	1495	2173	1500	2470	1870	2590	1910	2600
10.	Height mm	1635	2070	1652	1652	1297	2750	1890	3410	2530	3940	2200	3730
11.	Overhang Front mm	-	-	387	387	464	1297	760	2280	1050	1695	1000	2500
12.	Overhang Rear mm	443	790	440	440	405	1375	710	2385	805	3484	1250	3560
13.	Ground clearance mm	150	255	158	158	89	220	150	375	176	300	150	259
14.	TCD m	-	-	6.96	6.96	8.33	12.6	8.5	19.7	12.3	23.99	11.17	23.4
15.	TCCD m	-	-	7.32	7.32	7.95	13.5	9.8	21.2	14	25.5	12.84	27.2

4. In the said rules, after form 60, the following forms shall be inserted, namely: -

“Form 61

[See rule 175 (5)]

FORM OF PRELIMINARY REGISTRATION CERTIFICATE ISSUED TO AN AUTOMATED TESTING STATION

Preliminary Registration Certificate No.....

Dated.....

The Preliminary Registration Certificate is hereby granted

to.....

(Name and full address)

for initiating the establishment of an Automated Testing Station under sub-section (2) of section 56 of the Act at the premises

.....
(Address of the premises in full)

for the purpose of issue and renewal of Certificate of Fitness to transport/non- transport vehicles, subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the Central Motor Vehicles Rules, 1989, made thereunder.

This Preliminary Registration Certificate is valid from _____ to _____

.....

Date.....

Registering Authority Seal of Registering Authority

Form 62

[See rule 175(9)]

FORM OF REGISTRATION CERTIFICATE TO BE ISSUED OR RENEWED TO AN AUTOMATED TESTING STATION

Registration certificate No.....

Dated.....

The Registration Certificate is hereby granted to.....

(Name and full address)

for commencing the operations/continuing the operations of an Automated Testing Station under sub-section (2) of section 56 of the Act at the premises

.....
(Address of the premises in full)

for the purpose of issuance and renewal of Certificate of Fitness to transport/non- transport vehicles, subject to the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988, and the Central Motor Vehicles Rules, 1989, made thereunder.

This Registration Certificate/Renewal Certificate is valid/ renewed from

..... to

Date.....

Registering Authority

Seal of Registering Authority

Form 63

[See rule 175(3)]

APPLICATION FORM FOR GRANT OF PRELIMINARY REGISTRATION CERTIFICATE FOR AUTOMATED TESTING STATION

1. FOR OFFICE USE

Application No.	
Application Date	
Fee	

2. GENERAL INFORMATION

a.	Name	
b.	Address	
c.	Telephone	
d.	Email ID	
e.	CIN / Shop Act Registration number /Udyam Aadhar number	
f.	PAN	
g.	GST number	
h.	Status	
		Any

	(please tick)	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt.	J V	PP P	other (Specify)
3. Proposed number of lanes		2- Wheeler/ 3- Wheeler		Light Motor Vehicle		Medium and Heavy Motor Vehicle				
4. Land details		1. Location - Details of Ownership / Lease (Documentary proof to be enclosed) -								

Authorised Signatory _____
(Owner and / or Operator)

Date _____

Form 64

[See rule 175(7)]

**APPLICATION FORM FOR GRANT OR RENEWAL OF REGISTRATION CERTIFICATE FOR
AUTOMATED TESTING STATION**

Application for	Please tick
Issue of a new Registration Certificate	
Renewal of Registration Certificate	

1. FOR OFFICE USE

Preliminary Registration Certificate No.	
Application No.	
Application Date	
Fee	
Security Deposit	

2. GENERAL INFORMATION

a.	Name	
b.	Address	

c.	Telephone									
d.	Email ID									
e.	CIN / Shop Act Registration number / Udyam Aadhar number									
f.	PAN									
g.	GST number									
h.	Status (Please tick)	Company	Firm	Trust	Society	Proprietor	Govt	JV	PPP	Any other (Specify)

3. Number of functional lanes	2-Wheeler / 3-Wheeler	Light Motor Vehicle	Medium and Heavy Motor Vehicle
4. Land details	1. Location - 2. Details of Ownership / Lease (Enclose documentary proof) -		
5. Number of Employees			
6. VAHAN API application number and date			

7. UNDERTAKING

The Applicant hereby undertakes the following, namely: -	
a.	Due process for visual and automated test is followed as per Central Motor Vehicles Rules, 1989
b.	Not to use the data generated from vehicle inspection and certification for any monetary gains
c.	To maintain strict confidentiality of information regarding test results related to vehicle make and type
d.	Not to undertake services related to manufacturing/repair/sale of vehicles or manufacturing/sale of automobile spares

e.	At all times to function in a transparent and impartial manner and to comply the provisions of sub-rules (1), (2) and (3) of rule 177.
----	--

(Attach copy of Preliminary Registration Certificate and Successful Pre-Commissioning Audit and Assessment Report as per rule 175)

Authorised Signatory _____
(Owner and / or Operator)

Date _____

Form 65

[See rule 180(5)]

**APPLICATION FORM FOR ISSUE OF DUPLICATE PRELIMINARY REGISTRATION
CERTIFICATE/ REGISTRATION CERTIFICATE FOR AUTOMATED TESTING STATION**

To

The Registering Authority

.....

The Preliminary Registration Certificate/ Registration Certificate of my/our Automated Testing Station, the certificate Number..... has been lost/destroyed/completely written off/ soiled/ torn/ mutilated in the following circumstances:

.....

.....

.....

*I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge the Preliminary Registration Certificate / Registration certificate has not been suspended or cancelled under the provisions of the Act or Rules made thereunder and the circumstances explained above are true.

I/We do hereby apply for the issue of a duplicate Preliminary Registration Certificate / Registration certificate.

I/We hereby declare that I/We on..... (date) have filed a complaint (copy enclosed) with the police about the loss of Preliminary Registration Certificate / Registration certificate immediately after the loss has been noticed.

I / We hereby declare that I / We shall intimate and surrender the certificate to the Registering Authority in case the lost certificate is found in future.

Name.....

Date:

Signature.....

Form 66

[See 175(7)]

FORM FOR AUDIT AND ASSESSMENT REPORT OF AN AUTOMATED TESTING STATION

(Pre-commissioning)

Audit and Assessment Number		Date of Audit and Assessment	
Auditing Agency and Auditor's Name		Auditor's Signature	
Station Name		Station Number	
Preliminary Registration Certificate Number			
Address		Contact Number	

1. Test equipment completeness and calibration.

Sl. No.	Equipment	Available (Yes/No)	Functional (Yes/No)	Date of calibration
a.	Roller brake tester			
b.	Axle Weight Measurement			
c.	Suspension tester			
d.	Side slip tester			
e.	Joint Play tester			
f.	Automatic Steering Gear Play Detector			
g.	Automatic Head light tester			
h.	Opacimeter			
i.	Exhaust gas analyzer			
j.	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester			
k.	Sound level meter			

Remarks:

2. Details of manpower employed

Sl. No.	Designation	Number of Staff employed	Compliance with rules (Yes/ No)	Remarks
a	Centre Head/Manager			
b	IT In charge/ System Analyst			
c	Data Entry Operator			
d	Driver (LMV/HMV)			
e	Lane In charge / Supervisor			
f	Lane Operator			
g	Maintenance Technician			

Remarks:

3. Additional checks

Sl. No.	Check	Yes	No
a.	IT system as per prescribed guidelines		
b.	Test result data masked and encrypted		
c.	CCTV cameras installed and functional		
d.	Test data kept in secure facility and uploaded on VAHAN		
e.	Lane screens do not display any test results		
f.	Infrastructure facilities as per guidelines		
g.	Appointment booking only through electronic portal		
h.	Fire safety clearance		
i.	Adequate provision for parking and security of the Vehicles		

Result (Approved/ Not Approved):

Corrective actions required (in case of non-approval):

Form 67

[See rule 184(7)]

FORM FOR AUDIT AND ASSESSMENT REPORT OF AN AUTOMATED TESTING STATION**(During operations)**

Audit Number and Assessment		Date of Audit and Assessment	
Auditing Agency and Auditor's Name		Auditor's Signature	

Station Name		Station Number	
Registration certificate Number		Operational Hours	
Address		Contact Number	

1. Registration certificate available?	Yes		No	
---	-----	--	----	--

2. Test equipment completeness and calibration.

Sl. No.	Equipment	Available and functional (Yes/No)	Calibration Frequency	Date of last calibration
a.	Roller brake tester			
b.	Axle Weight Measurement			
c.	Suspension tester			
d.	Side slip tester			
e.	Joint Play tester			

f.	Automatic Steering Gear Play Detector			
g.	Automatic Head light tester			
h.	Opacimeter			
i.	Exhaust gas analyzer			
j.	Speedometer Tester/ Speed Governor Tester			
k.	Sound level meter			

Remarks:

3. Availability of suitable Manpower

Sl. No.	Designation	Number of Staff	Compliance with rules (Yes/ No)	Remarks
a.	Centre Head/Manager			
b.	IT In charge/ System Analyst			
c.	Data Entry Operator			
d.	Driver (LMV/HMV)			

e.	Lane In charge / Supervisor			
f.	Lane Operator			
g.	Maintenance Technician			

Remarks:

4. Sample check of vehicles to ensure compliance with testing process

Lane	Lane type (2- Wheeler / 3- Wheeler / LCV / HCV)	Compliance (Yes/ No)			Notes
		Vehicle- 1	Vehicle- 2	Vehicle-3	
Lane-1					
Lane-2					

Lane-3					
Lane-4					

Remarks:

Note: Vehicle number and test report of the sample vehicles checked shall be attached.

5. Additional checks

S No.	Check	Yes	No
a.	IT system as per prescribed specifications		
b.	Test result data masked and encrypted		
c.	CCTV cameras installed and functional		
d.	Test data kept in secure facility and uploaded on VAHAN		
e.	Lane screens do not display any test results		
f.	Infrastructure facilities as per guidelines		
g.	Appointment booking only through electronic portal		
h.	Fire safety clearance		
i.	Adequate provision for parking and security of the vehicles		

Observed non-compliance:
Corrective action to be taken:

Form 68

[See rule 183(1)]

APPLICATION FORM FOR APPEAL AGAINST TEST RESULT**1. Personal Details**

Name		
Address		
Contact Number		
Email ID		
Are you the registered owner of the vehicle? (Yes/ No)		

2. Vehicle Details

Registration Number	
Chassis Number	
Make	
Model	

3. Test Station Details

Station Name	
Station Address	
Date of Test	
Was the vehicle tested at any other station as well? (Yes/ No) – If yes, give details:	

4. Appeal

Details of the plea against the test results:
Has the vehicle been repaired, altered or adjusted since last tested? (Yes/ No) – If yes, give details:

(Please attach the copy of the test result).''.

[No. RT-25035/05/2021-RS]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide notification number G.S.R. 594(E) dated 26th August, 2021.